स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -16 ■ अंक - 365/366 (संयुक्तांक) ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 अगस्त 2017 ■ पेज - 12 ■ मूल्य 5 रु.

काश, रेलमंत्री भी टाटा समूह से कुछ सीख पाते!

सुरेश त्रिपाठी

सरकारी संस्थानों के बंद होने या उनका निजीकरण होने का सबसे बड़ा कारण है सरकारी संस्थानों में वास्तविक कार्य न करने वालों, यानि अधिकारी वर्ग की जरूरत से ज्यादा अधिकता होना. संसार के सारे तंत्र, जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले हैं, श्रमिकों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं. न दिखने वाला भाग यानि प्लानिंग है, जो कि कुछ ही लोगों या एक-दो व्यक्तियों द्वारा या विश्व के किसी कोने में चल रहे सफल प्रयोग से अथवा किसी ग्रुप के द्वारा प्लानिंग की सेवाएं लेने पर ही सफलता मिल जाती है. वैसे भी सभी रेल अधिकारी 'वर्क स्टडी' के नाम पर देश-विदेश घूमते ही हैं. वे अनेकों बड़ी कंपनियों द्वारा प्लानिंग की सेवाएं आज भी लेते हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि इतने सफेद हाथी पाले जाएं?

'रेलवे समाचार' पहले में भी लिख चुका है कि रेलवे में हाथ बांधे खड़े हुए दिशा-निर्देश देने वालों की कमी नहीं है, बल्कि वास्तविक कार्य करने वाले मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता है. कल तक जहां 100 किमी. के सेक्शन में एक अधिकारी हुआ करता था, वहां आज उतने में ही चार-चार अधिकारी और उनके चार-चार सहायक अधिकारी हो गए हैं. यदि मजदूर होगा, तभी कार्य होगा. वातानुकूलित कक्ष में बैठकर रेल नहीं चल सकती. यदि रेल कर्मचारी से कार्य नहीं करवाया जा रहा है, तो वही कार्य ठेकेदार का कर्मचारी कर रहा है. परंतु यह निश्चित है कि कार्य तो कर्मचारी ही कर रहा है, अधिकारी नहीं. अब जहां तक यह कहा जाता है कि रेल कर्मचारी कार्य नहीं करता, तो यह सफेद झूठ बोल-बोलकर रेल को खोखला करके बेचने पर आमादा समाज के नासूरों का गिरोह यह नहीं समझ रहा है कि वह जिस डाल पर बैठा है, उसी को काटने का घातक प्रयास कर रहा है. यदि रेलवे का निजीकरण होता है, जो कि काफी हद तक हो भी चुका है, तो उस गिरोह के सदस्य अवश्य ही बाहर कर दिए जाएंगे, जबकि संभवतः रेल कर्मचारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. घड़ी की सुई की तरह चलने वाला रेल विभाग शेष पेज 4 पर...

'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको लालू ने ठगा नहीं'

सुरेश त्रिपाठी

यह सर्वविदित है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचकर राजनेता अहंकारी और निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जमीन से उठकर रेल सिंहासन पर विराजमान होने वाला कोई फटीचर आदमी यदि किसी जटिल महाघोटाले को अंजाम दे, तो दुर्भाग्य है इस देश की गरीब आवाम का, जिसने ऐसे व्यक्तित्व को अपना सिरमौर बनाया. क्षेत्र और जाति की बिसात पर देश की सबसे मजबूत और ऐतिहासिक संस्था (रेलवे) का मालिक बनकर निजी स्वार्थ के वास्ते पूरी रेल व्यवस्था को चरमरा देने जैसा कु-कृत्य सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही कर सकते थे. 'रेलवे समाचार' लगातार रेलवे में हुए अधिकारी पदोन्नति महाघोटाले पर दस्तावेजी सबूतों के साथ विस्तृत जानकारी देता शेष पेज 10 पर...

राजेश अगरवाल को जीएम पैनल से जानबूझकर किया गया बाहर

सुरेश त्रिपाठी

- सीआरबी ने अगरवाल के ज्ञापनों पर समय रहते उचित संज्ञान क्यों नहीं लिया?
- अंततः अप्रूव हुआ एसीसी से वर्ष 2017-18 का जीएम पैनल, पोस्टिंग नदारत
- महाप्रबंधकों को अतिरिक्त कार्यभार देने में किया जाता है पक्षपात और भ्रष्टाचार

रेल मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को अपने-अपने एजेंडे से फुर्सत नहीं है, जबकि उनकी इस अनमनस्कता अथवा अनदेखी का भरपूर फायदा रेलवे की अकर्मण्य नौकरशाही द्वारा बहुत अच्छी तरह से उठाया जा रहा है. जो जीएम पैनल प्रति वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह तक अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट (एसीसी) से अप्रूव होकर आ जाना चाहिए, यानि जो प्रक्रिया हर साल फरवरी के पहले हप्ते से शुरू होकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक खत्म हो जानी चाहिए, वह अब हर साल जुलाई और अगस्त तक चलती रहती है. पिछले साल का जीएम पैनल 12 जुलाई को एसीसी से अप्रूव होकर आया था, जबकि इस साल यह 14 जुलाई को आया है. यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि रेलवे बोर्ड की नौकरशाही पर शेष पेज 11 पर...

भ्रष्टाचार में शीर्ष के बाद

अब घटिया खानपान सेवा में भी टॉप पर रेलवे

नई दिल्ली : रेलमंत्री बनने के बाद सुरेश प्रभु जिस तरह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रेलवे के कामकाज के तरीकों में लगातार सुधार का प्रयास करते रहे हैं, वह सब नाकाफी साबित हुए हैं. इसका कारण यह है कि रेलवे की नौकरशाही की धूर्तता और उसकी कार्य-प्रणाली को उन्होंने समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया. रेल यात्री लगातार बदतर कैटरिंग सेवाओं और गंदगी की शिकायत करते रहे हैं, जिन पर अब सीएजी ने भी अपनी मुहर लगा दी है, परंतु रेलमंत्री को रेलवे की नौकरशाही द्वारा लगातार अंधेरे में रखा जा रहा है. इससे पहले सीएजी ने रेलवे में भ्रष्टाचार को सभी केंद्रीय विभागों की अपेक्षा सबसे ऊपर बताया था.

यह सब सुरेश प्रभु के रेलमंत्रित्व काल में ही हुआ है. तथापि, इन सभी अधिकृत रिपोर्टों को दरकिनार करके रेलमंत्री अथवा केंद्र सरकार केवल रेलवे में

रेलवे का खाना आदमी तो क्या जानवरों के भी खाने लायक नहीं -सीएजी

तथाकथित सुधारों का ही ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. रेलवे की सामान्य श्रेणी (जनरल कोच) अथवा मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की जिस तरह भेड़-बकरियों यानि जानवरों जैसी

स्थिति है, ठीक उसी तरह रेलवे की खानपान सेवा साबित हो रही है, जो कि किसी यात्री यानि आदमी के खाने लायक नहीं है. शायद यही सोचकर रेल प्रशासन द्वारा उन्हें जानवरों जैसा खानपान उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि वास्तव में वह भी शायद खाने से इंकार कर देंगे. तथापि, रेलवे में तथाकथित सुधारों का डंका कुछ इस तरह पीटा जा रहा है जैसे कि अब तक इस देश में वर्तमान निजाम से ज्यादा काबिल कोई पैदा ही नहीं हुआ था!

भारतीय रेल की अत्यंत घटिया कैटरिंग सर्विस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार, 21 जुलाई को संसद में रखी गई. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रेलवे स्टेशनों पर जो खानपान की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह किसी आदमी के खाने लायक नहीं हैं. रिपोर्ट के अनुसार पैंट्रीकारों द्वारा शेष पेज 10 पर...

ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में 'कोल्ड रूम' की सुविधा किसके लिए?

रेलवे बोर्ड द्वारा डॉ. एन. के.प्रसाद का ट्रांसफर रद्द, साबित हुआ सीएमडी का पूर्वाग्रह

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर के शुक्रवार, 21 जुलाई को ट्रांजिट औषधि भंडार में नव स्थापित 'कोल्ड रूम' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्य विद्युत इंजीनियर योगेश अस्थाना, मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. सतीश चंद्र, मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डॉ. सोमई प्रसाद, चिकित्सा निदेशक डॉ. राजीव सक्सेना सहित सभी विभाग प्रमुख, रेलवे चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी उपस्थिति थे. महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने 'कोल्ड रूम' का उद्घाटन करने के पश्चात उसका निरीक्षण भी किया तथा उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की.

उल्लेखनीय है कि जीवन रक्षक दवाओं को इस कोल्ड रूम में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है. इंसुलेशन के लिए पालीयुरेथीन फोम का प्रयोग किया गया है. इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें लगातार सुधार किए जाने का निर्देश दिया. इस मौके पर महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों, डायलिसिस यूनिट, किचन तथा मैकेनाइज्ड लांड्री का भी निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की एवं उपलब्ध चिकित्सा सेवा के बारे में उनकी राय भी पूछी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा निदेशक (सीएमडी) के उपरोक्त क्रिया-कलाप पर रेलकर्मियों का कहना था कि यह सब बेकार का दिखावा हो रहा है और इस सब पर निरर्थक खर्च किया जा रहा है, क्योंकि जब उक्त अस्पताल में रेलकर्मी मरीजों को आवश्यक दवाईयां ही उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो यह कोल्ड स्टोरेज किसके लिए बनाया गया है? उनका यह भी कहना था कि जब उक्त अस्पताल सहित भारतीय रेल के तमाम अस्पताल अब सिर्फ 'रेफरल हॉस्पिटल' बनकर रह गए हैं, तो सिर्फ कमीशनखोरी के उद्देश्य से यहां कोल्ड स्टोरेज का बनाया जाना रेलवे रेवेन्यु का अपव्यय है. उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को रेलवे बोर्ड द्वारा डॉ. एन. के. प्रसाद का ट्रांसफर रद्द कर दिए जाने से पूर्वोत्तर रेलवे के सीएमडी को एक बड़ी चपराक पड़ी है, जिससे उनकी प्रशासनिक अक्षमता और मातहत डॉक्टरों के प्रति उनका पूर्वाग्रह खुलकर सामने आ गया है.

भारतीय रेल में शुरू हुई 'कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम' की सुविधा

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने 'कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी' (सीटीएसई) की शुरुआत कर दी है जिससे रेलकर्मी अब सभी निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं. इसका सीधा फायदा रेलवे के लगभग 26.50 लाख (13.30 लाख कार्यरत और 13 लाख सेवानिवृत्त) कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा. इस स्कीम से रेलवे के सभी वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही अब उनके परिजनों का इलाज करवाना भी आसान हो गया है. उन्हें इलाज के लिए लिए नकदी अथवा रेलवे अस्पतालों से रेफर करवाने की भी परेशानी नहीं होगी. 'रेलवे समाचार' इस बारे में लगभग 20 सालों से लगातार रेल प्रशासन को यही सुझाव देता रहा है, जो कि अब फलीभूत हो रहा है.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में इस सेवा की शुरुआत की है. इस मौके पर रेलमंत्री श्री प्रभु ने कहा कि कैशलेस हेल्थ स्कीम का सीधा फायदा हमारे रेलकर्मियों को होगा. रेलवे के अपने अस्पतालों और देश भर के निजी अस्पतालों के बीच तकनीकी समझौता हो चुका है. रेलकर्मियों को अब सिर्फ अपना आधार नंबर रेलवे से जोड़ना होगा. इसके साथ ही मरीज का पूरा ब्यौरा संबंधित अस्पताल में पहुंच जाएगा. खास बात यह भी है कि रेलवे अस्पताल के डॉक्टर अब निजी अस्पताल के डॉक्टरों से सर्वर के माध्यम से मरीज की जानकारी भी साझा कर सकते हैं.

रेलवे के दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशन (एनएफआईआर एवं एआईआरएफ) लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे. पिछले महीने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों फेडरेशनों के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः इस मांग को उठाया था कि कैशलेस चिकित्सा स्कीम की सुविधा भारतीय रेलवे में भी तुरंत शुरू की जाए. इस मौके पर रेलमंत्री ने 'रेल क्लाउड' नाम की तकनीक की शुरुआत की. इससे रेल नेटवर्क पर नियंत्रण रखना आसान होगा. रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे का जितना बड़ा नेटवर्क है, उसमें रेलवे के पास अपना सेटअप होना जरूरी है. आने वाले दिनों में रेल ट्रैफिक को भी डिजिटल तकनीक से ही नियंत्रित किया जाएगा.

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ट्रेनों के समयपालन में पर्याप्त सुधार

समयपालन बढ़ाए जाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा उठाए गए कई कदम

इलाहाबाद ब्यूरो : चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा सवारी गाड़ियों के समयपालन (पन्चुअलिटी) में सुधार के लिए उच्च स्तर सहित प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रयास किए गए हैं. जुलाई में इन प्रयासों का प्रभाव दिखाई देने लगा है. पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जुलाई 18 तक उत्तर मध्य रेलवे ने समयपालन में पर्याप्त सुधार किया है. उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि गत वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 18 जुलाई तक समयपालन का प्रतिशत 52.71 रहा, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान बढ़कर 58.22 प्रतशित हो गया. इसमें पिछले साल की अपेक्षा 10.45 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जो कि उत्तर मध्य रेलवे के इतिहास में अप्रत्याशित है और भारतीय रेल के सभी जोनों में सार्वधिक बताया गया है.

जुलाई माह के आंकड़े तो और भी चौकाने वाले हैं. चालू वित्त वर्ष में 1 से 18 जुलाई तक उत्तर मध्य रेलवे में समयपालन का प्रतिशत 61.78 रहा है, जो कि इसी अवधि में पिछले वित्त वर्ष से 21.2 प्रतिशत अधिक है. इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) गौरव कृष्ण बंसल से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि समयपालन प्रतिशत में ये अभूतपूर्व वृद्धि हर घंटे लगातार मॉनिटरिंग से संभव हुई है, जिसमें उच्चतम स्तर शामिल है. उन्होंने कहा कि गाड़ियों का समयपालन बढ़ाना एक बेहद दुष्कर कार्य है, जिसमें अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता की आवश यकता पड़ती है.

सीपीआरओ ने बताया कि मॉनिटरिंग के अतिरिक्त कई और भी कदम उठाए गए हैं, जिनमें लूप लाइनों में स्टेबल की गई मालगाड़ियों को हटाना, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मुगलसराय-इलाहाबाद खंड एवं पलवल-बीना खंड में लिए जा रहे इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस की कड़ी मॉनिटरिंग, मथुरा-पलवल खंड में तीसरी लाइन का 'अप' और 'डाउन' दिशाओं में पूरा इस्तेमाल, पहाड़ा-झिंगुरा सेक्शन में स्थाई गति अवरोधकों पर अनुमत गति को 50 किमी. प्रतिघंटा से 90 किमी. प्रतिघंटा तक बढ़ाना, झांसी में इंजन बदलने से बचने के लिए डीजल इंजनों से चल रही 8 जोड़ी सवारी गाड़ियों को बिजली के इंजन से चलाना, और स्टाफ को 'एसेट विफलताओं' में त्वरित गति से काम करने के लिए प्रोत साहित करने जैसे कदम शामिल हैं.

खजुराहो-भोपाल के बीच महामना एक्सप्रेस का शुभारम्भ

इलाहाबाद ब्यूरो, झांसी : गाड़ी संख्या 22164 खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस को खजुराहो के सांसद नागेंद्र सिंह ने 14 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर सांसद नागेंद्र सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रेलमंत्री ने खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर आदि क्षेत्रों की जनता को एक सौगात दी है. उन्होंने कहा कि खजुराहो में रेल संपर्क से पर्यटन का निरंतर विकास हो रहा है, इससे इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी. इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी भारी खुशी जाहिर की. इस अवसर पर झांसी मंडल के वरिष्ठ मंडल अभियंता भुवनेश सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता धर्मेंद्र कुमार, मंडल वाणिज्य प्रबंधक नीरज भटनागर, जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह एवं जनसंपर्क निरीक्षक प्रदीप सुडेले उपस्थित थे.

WREU द्वारा किया गया बाढ़ में फंसे रेलकर्मियों की मदद का सराहनीय कार्य

अहमदाबाद-सामाख्याली-पालनपुर-राधनपुर-वाराही-छानसरा-वाघपुरा-गांधीधाम तक पहुंचाई गई राहत

अहमदाबाद : वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डब्ल्यूआरईयू) अहमदाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ में फंसे मालिया रेलवे कॉलोनी के रेलकर्मियों और उनके परिवारों को आवश्यक और मौके पर पहुंचाई गई मदद का किया गया प्रयास अत्यंत सराहनीय है. 22 जुलाई को ध्रांगध्रा से स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए फूड पैकेट लेकर प्रशासन द्वारा मुहैया करवाए गए वाहन में डब्ल्यूआरईयू के पदाधिकारी हरमिंदर, फार्मासिस्ट, ध्रांगध्रा तथा बुकिंग स्टाफ के कर्मचारी मालिया रवाना हुए, लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण सिर्फ गेट न. 97 तक ही पहुंच पाए. बाकी स्टाफ वापस आ गया किंतु हरमिंदर फूड पैकेट के साथ वहीं रुक गए तथा गेट के फोन से मालिया के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया.

मालिया स्टेशन से आरपीएफ सहित लगभग 10 कर्मचारी 97 फाटक पर आने के लिए निकले, लेकिन उनमें से 6 व्यक्ति ट्रैक पर बहते तेज रफ्तार पानी को देखकर वापस लौट गए. सिर्फ 4 व्यक्ति, जिसमें एक स्टेशन मास्टर ओम प्रकाश झा और दीपक नायक, गार्ड, बिहोर कुमार एवं सहायक लोको पायलट प्रदीप कुमार ही हरमिंदर के पास पहुंच पाए. यहां से फूड पैकेट लेकर यह पांचो लोग वापस उसी वाशआउट हो चुकी झूलती रेल की पटरियों से होकर मालिया स्टेशन देर रात 12 बजे पहुंचे तथा भूखे प्यासे रेलकर्मियों को फूड पैकेट बांटे.

यह अत्यंत बहादुरी एवं साहस का काम था, क्योंकि नीचे गिरते तो मच्छू नदी का असीमित पानी पता नहीं उन्हें कहां बहाकर ले जाता, उनका पता भी नहीं लगता. 22 जुलाई से 24 जुलाई तक इसी ध्रांगध्रा की स्वयंसेवी संस्था ने मालिया के बाढ़ग्रस्त रेलकर्मियों के लिए दूध, बिस्किट, बोतल बंद पानी तथा खाद्य सामग्री का जो इंतजाम किया था, उसे डब्ल्यूआरईयू के पदाधिकारी अशोक पांडे, धीरेंद्र झा, वी. के. पांडेय, हरमिंदर तथा गिरीश व्यास के सहयोग से मालिया-मियाना में रेलकर्मियों और उनके परिजनों को लगातार पहुंचाया गया.

सेवानिवृत्त गिरीश व्यास, डब्ल्यूआरईयू अहमदाबाद के पूर्व संयुक्त मंडल मंत्री रहे हैं तथा जो समाजसेवी संस्था 'सूरज-पार्वती' बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कर रही है, उसके साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं. मालिया क्षेत्र में कार्यरत गैंग, स्टेशन और कॉलोनी के 400 लोगों का दोपहर का खाना डॉ. कामाक्षी जोनवाल, गांधीधाम की ट्रस्ट ओम नमः शिवाय और लियो क्लब के सहयोग से लेकर आई थीं. उन्होंने खाद्य सामग्री वितरण के अलावा बीमार लोगों को भी देखा तथा दवाइयां दीं. कॉलोनी की सफाई व्यवस्था को देखा और निर्देश जारी किए. डॉ. जोनवाल का सेवा का जज्बा सराहनीय है, जो वे मुख्यालय से इतनी दूर जाकर रेलकर्मियों के खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहीं हैं तथा उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं.

डब्ल्यूआरईयू मालिया शाखा के सचिव भावेश राणा ने इस कार्य में उनका पूरा सहयोग किया. डब्ल्यूआरईयू अहमदाबाद मंडल के सभी पदाधिकारियों ने डॉ. कामाक्षी की इस निःस्वार्थ सेवा को नमन किया है. डब्ल्यूआरईयू राधनपुर शाखा के सचिव सुधीर सक्सेना और उनकी टीम ने वाराही, छानसरा और वाघपुरा स्टेशन तथा कॉलोनी के रेलकर्मियों के लिए लगभग 100 से अधिक फूड पैकेट एवं पानी राधनपुर स्टेशन मास्टर के पास यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा दोपहर में रखवा दिया गया था. प्रशासन द्वारा इस खाद्य सामग्री को उक्त प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई गई.

इसी बीच पता चला कि किसी गाड़ी के आने की सूचना मिलते ही कुछ अन्य लोगों ने इस खाद्य सामग्री को स्वयं के द्वारा लाया गया बताकर लोको पर चढ़वा दिया और श्रेय लेने की हास्यास्पद कोशिश भी की. डब्ल्यूआरईयू के मंडल मंत्री कॉम. संजय सूर्यबलि के मार्गदर्शन में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 22 जुलाई से ही हर जगह बाढ़ग्रस्त रेलकर्मियों के खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं. इस नेक कार्य को यह सभी कार्यकर्ता लगातार जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय हम अपने द्वारा किए गए एक मामूली सहयोग के रूप में देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी मेहनत और ऊर्जा बची जिसका उपयोग वह और सेवा करने में लगाएंगे.

बाढ़ग्रस्त पालनपुर से राधनपुर खंड में वाराही, छानसरा तथा वाघपुरा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के विषय में मंडल मंत्री कॉम. सूर्यबलि ने प्रशासन से बात की, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, अहमदाबाद ने एआरएम, गांधीधाम को इन क्षेत्रों में पीने के पानी की शीघ्र व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही कॉम. सूर्यबलि ने मंडल पदाधिकारी, पालनपुर कॉम. बी. पी. गढ़वी को भी पीने के पानी का स्टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. यह वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने इसलिए की कि यदि किसी कारणवश प्रशासन पानी पहुंचाने में असमर्थ होता है, तो डब्ल्यूआरईयू की तरफ से रेलकर्मियों के लिए पानी भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी.

मंडल के बाढ़ प्रभावित स्टेशनों पर तैनात रेलकर्मियों तथा उनके परिवारों की समस्या और परेशानी को समझते हुए डब्ल्यूआरईयू के मंडल मंत्री कॉम. सूर्यबलि की गुजारिश पर डीआरएम, अहमदाबाद दिनेश कुमार के आदेश से सीनियर डीओएम मधुकर राउत और एआरएम गांधीधाम की सहायता से 26 जुलाई को 14 बजे गांधीधाम से एक विशेष राहत ट्रेन (वोटर स्पेशल) रवाना की गई है जिसमें प्रशासन ने सामाख्याली से इंदिरा नगर और पालनपुर खंड के स्टेशनों में बाढ़ में फंसे रेलकर्मियों और उनके परिजनों के लिए पीने का पानी भिजवाया है. इस विशेष ट्रेन में 500 लीटर वाली 24 पानी की टंकियां रखवाई गई हैं जिसे सामाख्याली से मालिया तथा समाख्याली से पालनपुर खंड में वितरित किया गया. इसी ट्रेन में कॉम. सूर्यबलि के निर्देश पर कॉम. हरफूल कुमावत अपने साथियों के साथ भोजन सामग्री भी लेकर गए हैं जिसे प्रभावित स्टेशनों पर वितरित किया गया.

पीआरकेपी के अधिवेशन में 'पीएनएम' 'जेसीएम' और 'प्रेम' की गढ़ी गईं नई परिभाषाएं

PNM-'परमानेंट न्यूसेंस मशीनरी' और JCM-'जॉइंट कांस्पिरेसी मशीनरी' बन गई

मुंबई : पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद (पीआरकेपी), मुंबई मंडल, पश्चिम रेलवे का अधिवेशन 24 जुलाई को हिंदू एसोसिएशन सभागृह, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई में संपन्न हुआ. जोनल अध्यक्ष महेश शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न इस अधिवेशन में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. इस मौके पर जोनल कार्यवाह जीवन सिंह अधिकारी, जोनल महामंत्री शिवलहरी शर्मा, जोनल संयुक्त सचिव सी.वी.एल. फनी, सार्वजनिक जीवन एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े रेलकर्मी संजय द्विवेदी एवं डब्ल्यूआरपीओए के पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान में जेडआरयूसीसी/प.रे. के सदस्य मुकुट बिहारी दवे, अहमदाबाद से आए गजेंद्र सोती सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी उपस्थित थे.

इस अवसर पर जोनल महामंत्री शिवलहरी शर्मा ने अपने भावनात्मक उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि कहने को तो वर्तमान में महाराष्ट्र और केंद्र में भी अपनी सरकार है, मगर आज तीन साल बीत जाने के बाद भी पीआरकेपी को लगातार मांगने के बावजूद एक कार्यालय तक बनाने की जगह रेल प्रशासन ने नहीं दिया है, जबकि अन्य कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संगठनों ने रेलवे में जबरन अपना कार्यालय स्थापित कर लिया है और रेल प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है. परंतु नियमानुसार मांग पर भी पीआरकेपी को कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इस पर मुख्य अतिथि आशीष शेलार ने अपने संबोधन में उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वह अगले पंद्रह दिनों में रेलमंत्री से मिलकर उनसे कार्यालय की जगह आवंटित करने का आग्रह करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल होने वाले यूनियन **शेष पृष्ठ 9 पर....**

काश, रेलमंत्री भी टाटा समूह से कुछ सीख पाते!

सुरेश त्रिपाठी

पेज 1 का शेष...

चेम्बर में बैठकर सरकारी कम्प्यूटर, लैपटॉप और सरकारी नेट का उपयोग करके कार्य के घंटों में ताश खेलकर, ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग करके, फेसबुक पर चैटिंग करके या पोर्न फिल्में देखकर नहीं चल रहा है, बल्कि तेज बारिश में भीगते हुए, कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए और भीषण गर्मी की आग झेलते हुए इंसान के रूप में राक्षसों जैसा श्रम करने वाले श्रमिक की दम पर रेलवे आज भी अपनी दक्षता कायम किए हुए है.

यदि मुंबई मंडल को ही उदाहरण के तौर पर देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मंडल पहले जितना ही है. यदि कहीं नई लाइन डाली गई है, तो उसी अनुरूप में लोनावाला-पुणे सेक्शन इससे कट गया है. परंतु पिछले कुछ सालों में ही इस मंडल में अधिकारी वर्ग करीब 8 से 10 गुना बढ़ गया है. जबकि अधिकारियों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में कर्मचारी कम हुए हैं. यदि रेल ट्रैफिक बढ़ा है, इसीलिए अधिकारी बढ़े हैं, यह बात तर्कसंगत इसलिए नहीं हो सकती है, क्योंकि केवल गणना देखने के लिए अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होना पूर्णतः अतार्किक है. सारा रेडी रेकनर तो वास्तव में कर्मचारी ही बनाकर प्रस्तुत करता है, जबकि संचालन बढ़ने से निश्चित ही कर्मचारी बढ़ने चाहिए थे. बिना कर्मचारियों के बढ़े काम होना ही नहीं है.

अतः यदि कर्मचारी बढ़े हैं, तो वह ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में बढ़े हैं, जो कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हैं. वहीं रेल कर्मचारी यदि नौकरी करता है, तो वह अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी भी होता है. आज अवसादग्रस्त, हीनभावना का शिकार और बीमार होकर तथा रन-ओवर होने से दिन-प्रतिदिन रेल कर्मचारियों की मृत्यु दर बढ़ रही है, क्योंकि श्रम की अधिकता, नौकरी का भय, परिवार की असुरक्षा का हर समय तनाव उन्हें काल-कवलित कर रहा है. यदि हम व्यसन को इसका जिम्मेदार मानते हैं, तो यहां यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान भौतिकता के बावजूद रेलकर्मियों में व्यसन की भारी कमी आई है, क्योंकि अब वह अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के चलते कोई व्यसन करने के बारे में सोचता भी नहीं है.

भा.रेल. में तकनीशियन/ हेल्पर/खलासी/गैंगमैन कम हैं, मगर अधिकारी ज्यादा हैं.

जबकि अधिकारी वर्ग में व्यसन की आदत स्टेटस सिम्बल बन गई है. आए दिन ठेकेदारों से फोकट की बड़ी-बड़ी पार्टियां ली जाती हैं. ठेकेदार उन्हें अन्य कई प्रकार की निजी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है. अपनी तनख्वाह के पैसे से परिवार चलाने वाला अधिकारी आज की व्यवस्था का 'बेचारा' आदमी बनका रह गया है. प्रतिमाह 1.5 लाख से 5 लाख तनख्वाह के अलावा प्रतिमाह अपनी सुविधा के रूप में रेलवे को लाखों का चूना लगाने के बाद भी पेट न भरने की स्थिति में ठेकेदारों की अनुकम्पा पर पलने वाले रेलवे के तथाकथित कर्णधार रेल का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, यह एक कटु सत्य है. यह भी सत्य है कि जो जहां है, वहां अपनी तरह से रेलवे को लूट रहा है. जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, उतना ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल कम होगा. यह भी उतना ही सत्य है.

अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में रेल अधिकारियों ने यह साबित कर दिया है कि रेल कर्मचारी उनसे ज्यादा कुशल हैं. जैसे कि एक चालक डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ट्रैक्शन पर करीब 18 तरह के भिन्न-भिन्न लोको, ईएमयू, डीएमयू, मेमू आदि सहित अन्य कई तरह की मशीनों-इंजनों को चलाता है, उनके तरीके जानता है, उनके गुण-दोष सुधारने का काम एक ही कर्मचारी यानी चालक कर सकता है. परंतु इस एक चालक को मैनेज करने के लिए हर जगह क्रू-कंट्रोलर, लोको इंस्पेक्टर के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दो-दो विभागों के कई-कई अधिकारी रखे गए हैं.

जबकि रेल परिचालन से जुड़े स्टेशन मास्टर एवं गार्ड का कैडर कंट्रोल ऑपरेटिंग विभाग विभाग के पास है और उनकी कंट्रोलिंग सीनियर डीओएम द्वारा की जाती है. ऐसे में चालक का कैडर इलेक्ट्रिकल का सीनियर डीईई (ऑपरेशन) तथा मैकेनिकल का सीनियर डीएमई (ऑपरेशन) और उनके कई सहायकों यथा डीईई, डीएमई, एईई, एएमई के द्वारा क्यों कंट्रोल किया जाता है? इतने अधिकारियों का क्या औचित्य है? सच यह है कि चालक का भारतीय रेल में कोई विभाग ही नहीं है. वह न तो इलेक्ट्रिकल में आता है, न ही मैकेनिकल में, और न ही वह ऑपरेटिंग विभाग का सदस्य है.

भारतीय रेल में चालक वर्ग का वास्तव में कोई माई-बाप नहीं है, वह अनाथों की तरह आपने आपको आश्रय की खोज में ऑपरेटिंग विभाग, क्योंकि वह ट्रेन संचालन से जुड़ा है, का सदस्य जबरन मानकर अपने विभाग के सामने 'परिचालन' लिखता है. यदि वह परिचालन विभाग का सदस्य है, तो सीनियर डीओएम को उसका कैडर कंट्रोल करना चाहिए. यदि ऐसा नहीं है, तो उसको उसका वास्तविक विभाग कौन सा है, यह तत्काल बताया जाना चाहिए. ताज्जुब इस बात का है कि कर्मचारी की छंटनी के लिए बारीक से बारीक चीजों पर नजर घुमाने वाले रेलवे बोर्ड के काबिल अधिकारियों की गिद्ध-दृष्टि से यह महत्वपूर्ण वर्ग वंचित क्यों रह गया है?

यदि रेलवे को बचाना है, तो टाटा समूह से सबक लिया जाना चाहिए, जिसने विगत दिनों में अपने 1500 अधिकारियों को पदमुक्त करके उनको दिए जाने वाले वेतन की एवज में कई सौ कर्मचारी भर्ती करके अपने समूह को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का सफल प्रयास किया तथा भारतीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है. पूरे भारत के श्रमिकों पर नजर घुमाने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री और रेलमंत्री इफरात रेल अधिकारियों पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है.

सबके लिए उपयोगी पुस्तक

'हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण'

'हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण'

पृष्ठ संख्या : 200
आकार : डिमाई
मूल्य :
पुस्तकालय संस्करण - 350 रुपए
विद्यार्थी संस्करण - 200 रुपए
प्रकाशक :
प्रारब्ध प्रकाशन 185,
मम्फोर्ड गंज,
इलाहाबाद-२११००२

'हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक डॉ. दिनेश प्रताप सिंह मध्य रेलवे, मुंबई मंडल में आरक्षण पर्यवेक्षक हैं. रेलवे में कार्य करते हुए उन्होंने बाईस पुस्तकों की रचना, अनुवाद, संपादन किया है. वे केंद्रीय हिन्दी निदेशालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली में परामर्शदाता हैं. उनके शोध विषय 'कोरकू जनजाति का लोक साहित्य' पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने उन्हें 'सीनियर फेलोशिप' प्रदान की है.

- संपादक

किसी समाज में भाषा अथवा बोली का प्रयोग शुरू होने के काफी समय बाद उसके व्याकरण की रचना होती है. भाषा मूलतः व्याकरण की आश्रित नहीं होती, किन्तु व्याकरण के माध्यम से संस्कारित होकर वह बोली और लिखी जाती है. व्याकरण में भाषा के इन्हीं नियमों को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया जाता है. किसी भाषा के व्याकरण में उस भाषा की संरचना पर प्रकाश डाला जाता है. व्याकरण के सही ज्ञान से भाषा के विशेष साहित्य का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है. सार रूप में कहा जाए तो - 'किसी भी भाषा के आधार के रूप में उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है. व्याकरण भाषा की वह नींव है, जिस पर उसका सुसज्ज भवन खड़ा होता है.'

हिन्दी की उत्पत्ति और विकास बोलियों से हुआ है. इसे वर्तमान स्वरूप में लाने में संस्कृत के व्याकरण की बड़ी भूमिका है. आगे चलकर हिन्दी के आचार्यों ने व्याकरण की रचना की. इस दिशा में पहला प्रयास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया. उनके कार्य को रामचन्द्र वर्मा, आचार्य किशोरीदास बाजपेयी, डॉ. भोलानाथ तिवारी, भगीरथ मिश्र इत्यादि ने नई दिशा और गति प्रदान की. वर्तमान समय में हिन्दी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को देखते हुए व्याकरण की एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता जान पड़ रही थी, जो हिन्दी और गैर-हिन्दी भाषी लेखकों तथा पाठकों को व्यावहारिक ज्ञान दे सके. इसी विचार को ध्यान में रखकर डॉ. दिनेश प्रताप सिंह ने 'हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण' ग्रन्थ की रचना की है. इस विषय में उनका कहना है-

'यह बार-बार अनुभव होता है कि देश के विभिन्न भागों में हिन्दी के पढ़ने-लिखने के प्रति लोगों में इच्छाशक्ति बढ़ रही है. किन्तु उनके सामने अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं. सबसे प्रमुख है शुद्धता के प्रति उनकी झिझक. यह झिझक हिन्दी के व्याकरण के विषय में उनके ज्ञान को लेकर है. उन्हें सरल भाषा और व्यवहारिक रूप में हिन्दी के व्याकरण की जरूरत हमेशा महसूस होती है. उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना की गयी है.'

'हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण' ग्रन्थ में विषयवस्तु का निर्धारण विद्यार्थियों, नवलेखकों और पाठकों को ध्यान में रखकर किया गया है. शब्द-भेद और शब्द-संपदा पूरी तरह से विद्यार्थियों के लिए है. शब्द-भेद के अंतर्गत विकारी शब्द-संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा शब्द-विकार के कारण- लिंग, वचन, कारक हैं, तो साथ में अविकारी शब्द अर्थात अव्यय भी शामिल है. शब्द-संपदा में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सन्धि समाहित हैं. यह भाग चालीस पृष्ठों में है. आगे की विषयवस्तु- वाक्य, काल, अशुद्ध शोधन, वर्तनी विचार, विराम चिन्ह, पर्यायों में अर्थभेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, रस, छन्द, अलंकार, सार लेखन, भाव विस्तार, निबंध लेखन, पत्र लेखन विद्यार्थियों के साथ ही सामान्य पाठकों और लेखकों के लिए भी उपयोगी है. इन सबको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि गैर-हिन्दी भाषी लेखक-पाठक भी हिन्दी को भली-भांति समझ, लिख और बोल सकें. अशुद्धियों की पहचान और उन्हें दूर करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शन इस पुस्तक में किया गया है. इस प्रकार हिन्दी भाषा का अध्ययन करने वालों को व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष को समझाने और आवश्यक सामग्री सुलभ कराने का पूरा प्रयास किया गया है.

डॉ. दिनेश प्रताप सिंह का हिन्दी के व्याकरण के क्षेत्र में किया गया यह प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह ग्रंथ हर दृष्टि से पठनीय और संग्रहणीय है. इस ग्रंथ की उत्कृष्टता और उपयोगिता का आंकलन करके केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इसके प्रकाशन हेतु आर्थिक साहयोग प्रदान किया है, ताकि कम मूल्य में यह ग्रंथ सबको उपलब्ध हो सके.

समीक्षक :
डॉ. उमाशंकर पाल
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
एल. डी. सोनावणे महाविद्यालय,
कल्याण, ठाणे-421301.

सीएमडी/आईआरसीटीसी को क्यों बचा रहा है रेलवे बोर्ड?

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. ए. के. मनोचा 31 जुलाई 2017 को रिटायर होने जा रहे हैं. परंतु विजिलेंस मामलों में उनके खिलाफ पेंडिंग तीन चार्जशीट अब तक उन्हें सर्व नहीं की गई हैं. उनके कार्यकाल में दानापुर के रेलनीर प्लांट में 8 करोड़ रुपए के घोटाले सहित पूरी भारतीय रेल में रेलनीर के मामले में हुए करोड़ों के घोटालों पर फिलहाल पर्दा पड़ा हुआ है. पानी के निजी आपूर्तिकर्ताओं और अन-ब्रांडेड फर्मों के साथ मिलीभगत करके रेलनीर सहित अन्य कई जिंसों की सप्लाई में रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया गया है.

इसके अलावा रेलनीर प्लांट्स को लगाए जाने के लिए दिए गए ठेकों और इसके लिए किया गया कंपनियों का चुनाव भी संदेह के घेरे में हैं. इस बारे में 26 जुलाई को संसद में तारांकित सवाल का जवाब रेलमंत्री को देना है. सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेलवे के खानपान की बखिया उधेड़ दी है. उसकी यह रिपोर्ट 21 जुलाई को संसद के पटल पर रखी जा चुकी है. रेलवे निजाम का बगलबच्चा बनकर सीएमडी/आईआरसीटीसी ने ऐसे-ऐसे ठेकेदारों को पेंट्रीकारों के ठेके दिए हैं, जिनका विगत रिकॉर्ड आपराधिक रहा है और उन्हें खानपान के क्षेत्र का कोई खास अनुभव नहीं था. इसके अलावा अन्य कई प्रकार के ठेकों में डॉ. मनोचा द्वारा भारी घपले किए गए हैं. आईआरसीटीसी के कई अधिकारियों ने उनका नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि यदि डॉ. मनोचा के पूरे कार्यकाल की गहराई से जांच कराई जाए, तो करोड़ों के अन्य घोटाले मिलेंगे.

रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों से 'रेलवे समाचार' को प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमडी/आईआरसीटीसी डॉ. ए. के. मनोचा के विरुद्ध कम से कम चार मामले पेंडिंग हैं. सूत्रों का कहना है कि तीन मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी करके सीवीओ/आईआरसीटीसी द्वारा तीनों मामले करीब दो महीने पहले रेलवे बोर्ड विजिलेंस को भेज दिए गए थे. परंतु रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त मामले सीवीसी को फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं. सूत्रों ने इसका कारण डॉ. मनोचा का रेलवे निजाम का बगलबच्चा होना बताया है. उनका कहना है कि निजाम की नजदीकी के कारण डॉ. मनोचा द्वारा यह अफवाह फैलाई गई है कि उन्हें 'सेवा-विस्तार' (एक्सटेंशन) मिलने जा रहा है. शायद इसी दबाव में रेलवे बोर्ड ने अब तक आगे की प्रक्रिया को होल्ड करके रखा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉ. मनोचा के खिलाफ चार विजिलेंस मामले हैं. इनमें से पहला मामला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत 'गोल्फ कार्ट्स' की खरीद का है, जिसमें उचित टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना ही धड़ल्ले से गोल्फ कार्ट्स की खरीद की गई थी. इस मामले में डॉ. मनोचा के विरुद्ध अनुशासनिक अधिकारी (डीए) द्वारा मेजर पेनाल्टी चार्जशीट की अनुशंसा की गई है. यह मामला अब तक सीवीसी के पास पेंडिंग है, जबकि डॉ. मनोचा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है.

डॉ. ए. के. मनोचा

सूत्रों का कहना है कि डॉ. मनोचा के विरुद्ध दूसरा मामला अपने मातहतों के प्रति वर्ष 2016-17 में असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल का है, जिसमें हालांकि उन्हें 'रिकार्डेड वार्निंग' दी गई है, परंतु यह मामला भी फिलहाल पुनरीक्षा के तहत है. जबकि उनके विरुद्ध तीसरा मामला सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना ही वर्ष 2015-16 में श्रीलंका की विदेश यात्रा (घुमक्कड़ी) का है. परंतु इस मामले में भी रेलवे बोर्ड विजिलेंस द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है.

चौथा मामला आईआरसीटीसी की निदेशक/टीएंडएम श्रीमती ए. के. बरार की शिकायत का है. इस मामले में 15 दिसंबर 2016 को सीवीसी की अनुशंसा के बावजूद रेलवे बोर्ड विजिलेंस ने अब तक डॉ. मनोचा को मेजर पेनाल्टी चार्जशीट नहीं थमाई है. सूत्रों का कहना है कि रेलवे बोर्ड विजिलेंस ने 31 जुलाई को डॉ. मनोचा के रिटायरमेंट के मद्देनजर यह चार्जशीट 'ड्रॉप' करने का मन बना लिया है. 'रेलवे समाचार' के पास सीवीसी का संदर्भित ऑफिस मेमोरेंडम (सं. 1617/रेलवे/014/331519, दि. 15.12.2016) सुरक्षित है, जिसे यहां विस्तार से पढ़ा जा सकता है. सीवीसी की इतनी कड़ी अनुशंसा के बावजूद यदि रेलवे बोर्ड विजिलेंस डॉ. मनोचा जैसे पूर्वाग्रही और भ्रष्ट अधिकारी को बचा रहा है, तो इसका कारण उसका निजाम के दबाव में होना ही कहा सकता है?

आईआरसीटीसी के कई अधिकारियों ने 'रेलवे समाचार' के माध्यम पीएमओ से अपील की है कि डॉ. मनोचा को सेवा-विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने पीएमओ से यह भी अनुरोध किया है कि डॉ. मनोचा के पूरे कार्यकाल की सीबीआई द्वारा स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए, जिससे हाल ही में सीबीआई द्वारा लालू यादव के संदर्भ में आईआरसीटीसी के उजागर किए गए कुछ पुराने मामलों से भी ज्यादा गंभीर घोटालों का पता चलेगा. इन अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड से भी निवेदन किया है कि डॉ. मनोचा को रिटायरमेंट से पहले चार्जशीट थमाई जाएं.

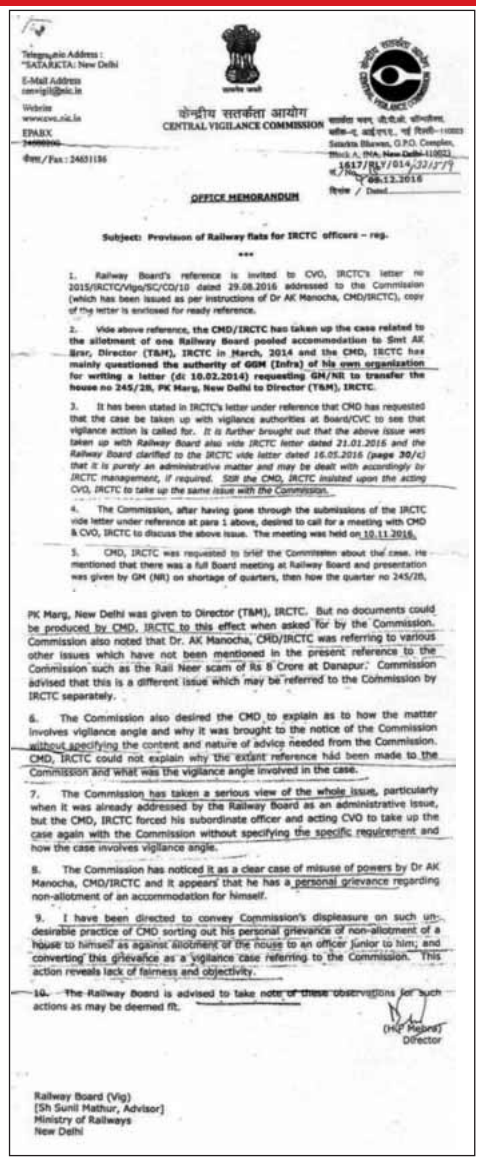

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi
E-Mail Address
cenvigil@nic.in
Website
www.cvc.nic.in
EPABX
फैक्स/Fax : 24651186

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023
सं./No. 1617/RLY/014/331519
दिनांक / Dated 05.12.2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Provision of Railway flats for IRCTC officers – reg.

***

1. Railway Board's reference is invited to CVO, IRCTC's letter no 2015/IRCTC/Vigo/SC/CO/10 dated 29.08.2016 addressed to the Commission (which has been issued as per instructions of Dr AK Manocha, CMD/IRCTC), copy of the letter is enclosed for ready reference.

2. Vide above reference, the CMD/IRCTC has taken up the case related to the allotment of one Railway Board pooled accommodation to Smt AK Brar, Director (T&M), IRCTC in March, 2014 and the CMD, IRCTC has mainly questioned the authority of GGM (Infra) of his own organization for writing a letter (dt 10.02.2014) requesting GM/NR to transfer the house no 245/28, PK Marg, New Delhi to Director (T&M), IRCTC.

3. It has been stated in IRCTC's letter under reference that CMD has requested that the case be taken up with vigilance authorities at Board/CVC to see that vigilance action is called for. It is further brought out that the above issue was taken up with Railway Board also vide IRCTC letter dated 21.01.2016 and the Railway Board clarified to the IRCTC vide letter dated 16.05.2016 (page 30/c) that it is purely an administrative matter and may be dealt with accordingly by IRCTC management, if required. Still the CMD, IRCTC insisted upon the acting CVO, IRCTC to take up the same issue with the Commission.

4. The Commission, after having gone through the submissions of the IRCTC vide letter under reference at para 1 above, desired to call for a meeting with CMD & CVO, IRCTC to discuss the above issue. The meeting was held on 10.11.2016.

5. CMD, IRCTC was requested to brief the Commission about the case. He mentioned that there was a full Board meeting at Railway Board and presentation was given by GM (NR) on shortage of quarters, then how the quarter no 245/28, PK Marg, New Delhi was given to Director (T&M), IRCTC. But no documents could be produced by CMD, IRCTC to this effect when asked for by the Commission. Commission also noted that Dr. AK Manocha, CMD/IRCTC was referring to various other issues which have not been mentioned in the present reference to the Commission such as the Rail Neer scam of Rs 8 Crore at Danapur. Commission advised that this is a different issue which may be referred to the Commission by IRCTC separately.

6. The Commission also desired the CMD to explain as to how the matter involves vigilance angle and why it was brought to the notice of the Commission without specifying the content and nature of advice needed from the Commission. CMD, IRCTC could not explain why the extant reference had been made to the Commission and what was the vigilance angle involved in the case.

7. The Commission has taken a serious view of the whole issue, particularly when it was already addressed by the Railway Board as an administrative issue, but the CMD, IRCTC forced his subordinate officer and acting CVO to take up the case again with the Commission without specifying the specific requirement and how the case involves vigilance angle.

8. The Commission has noticed it as a clear case of misuse of powers by Dr AK Manocha, CMD/IRCTC and it appears that he has a personal grievance regarding non-allotment of an accommodation for himself.

9. I have been directed to convey Commission's displeasure on such undesirable practice of CMD sorting out his personal grievance of non-allotment of a house to himself as against allotment of the house to an officer junior to him; and converting this grievance as a vigilance case referring to the Commission. This action reveals lack of fairness and objectivity.

10. The Railway Board is advised to take note of these observations for such actions as may be deemed fit.

(H.P. Mehra)
Director

Railway Board (Vig)
[Sh Sunil Mathur, Advisor]
Ministry of Railways
New Delhi

चार साल में मामले का निपटारा नहीं, रिटायर्ड अधिकारी का घोर उत्पीड़न

सुरेश त्रिपाठी

- प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा रेल मंत्रालय
- रेलमंत्री को नहीं है रेलवे की ऐसी तमाम अंदरूनी समस्याओं की कोई चिंता
- जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या पीएमओ कोई कारगर कदम उठाएगा?

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन-रात मेहनत करके देश के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो दूसरी तरफ रेलमंत्री सुरेश प्रभु रेल मंत्रालय के बाबुओं की कार्य-संस्कृति में सुधार करने और आंतरिक अनुशासन कायम करने के बजाय सिर्फ उदघाटनों और ऊपरी चमक-दमक में समय गवां रहे हैं. जबकि रेलवे न सिर्फ सर्वाधिक अदालती मामलों में आगे है, बल्कि भ्रष्टाचार में भी यह सभी केंद्रीय विभागों में सबसे टॉप पर है. इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उनके सेवा संबंधी मामलों में न्याय नहीं हो रहा है. परंतु रेलमंत्री को रेलवे की ऐसी तमाम अंदरूनी समस्याओं की कोई चिंता नहीं है.

'रेलवे समाचार' के संज्ञान में एक ऐसे सेवानिवृत्त रेल अधिकारी का मामला आया है, जो पिछले चार सालों से न्याय के लिए भटक रहा है. इस अधिकारी को अब तक न तो उसके सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ (डीसीआरजी, पेंशन आदि) मिले हैं, न ही न्याय मिल पाया है, बल्कि जांच के नाम पर लगातार चार सालों से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है. सरकारी बाबू उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे हैं. 'रेलवे समाचार' को भेजे गए विस्तृत विवरण में उत्तर रेलवे के जगाधरी वर्कशॉप से बतौर मंडल कार्मिक अधिकारी (डीपीओ) सेवानिवृत्त हुए सतीश कालरा ने बताया है कि उन्हें एक विभागीय चयन के मामले में सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले अनावश्यक रूप से विजिलेंस जांच में अटका दिया गया.

प्राप्त विवरण के अनुसार सेवानिवृत्त डीपीओ सतीश कालरा को उक्त मामले में 12 जून 2013 को आरोप-पत्र (चार्जशीट) दिया गया था. इसका प्रत्युत्तर श्री कालरा ने 10 जुलाई 2013 को दे दिया था. परंतु इस मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी के रूप में आरसीएफ, कपुरथला के रिटायर्ड जीएम प्रमोद कुमार की नियुक्ति करने में उत्तर रेलवे विजिलेंस को लगभग तीन साल का समय लग गया. जांच अधिकारी प्रमोद कुमार की नियुक्ति मार्च 2016 में की गई. तथापि उन्होंने 4 अप्रैल 2016 को अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करके 26 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी थी. अपनी जांच में प्रमोद कुमार ने श्री कालरा को सभी आरोपों में निर्दोष पाया था और उनकी सम्पूर्ण निर्दोषिता को साबित करते हुए उन्होंने अपनी यह जांच रिपोर्ट दी थी. तथापि, जीएम/उ.रे. ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अमान्य करते हुए श्री कालरा को दोषी बता दिया. यहां यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि यदि जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अंततः अमान्य ही करना है, तो इसके लिए रेलवे का पैसा और समय क्यों बरबाद किया जाता है? तथापि, श्री कालरा ने पुनः विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए जीएम को एक ज्ञापन 27 जनवरी 2017 को सौंपा. उनके द्वारा यह ज्ञापन सौंपे हुए अब चार महीनों से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ है. इस प्रकार श्री कालरा को न्याय के लिए दर-दर भटकते चार साल पूरे हो चुके हैं, तथापि उन्हें अब तक न तो उनके साथ न्याय हुआ है, न ही उन्हें कोई पेंशनरी लाभ मिल पाए हैं, न ही पेंशन का रिवीजन किया जा सका है, और न ही अब तक उनकी डीसीआरजी रिलीज की गई है.

जबकि पिछले तीन सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंचों से ऐसे तमाम मामलों का छह महीनों के अंदर अंतिम निपटारा किए जाने की घोषणा कर चुके हैं. ऐसा लगता है कि सरकारी बाबुओं के कान तक प्रधानमंत्री की आवाज शायद अब तक नहीं पहुंच पाई है. कैबिनेट सेक्रेटरी, सॉलिसिटर जनरल और डीओपीटी से भी ऐसे निर्देश जारी हुए हैं कि अदालती मामलों सहित विभागीय तौर पर चल रहे सभी मामलों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए तथा उनका अंतिम निपटारा निर्धारित समय के अंदर किया जाए. इसके अलावा सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार भी ऐसे सभी विजिलेंस मामलों में 90 दिन के अंदर जांच पूरी करके पूरे मामले का अंतिम निपटारा 180 दिन (6 महीने) में किए जाने का नियमतः प्रावधान है.

इसके बावजूद यदि सरकारी बाबू एक-एक मामले को निपटाने में चार से छह साल लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह कहना पड़ेगा कि उनके अंदर न सिर्फ घोर काहिली आ गई है, बल्कि उनकी इस अक्षम्य लापरवाही को देखने-सुनने वाला भी कोई नहीं है. इसके लिए वह लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितने कि ये बाबू हैं. क्या इस घोर लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए श्री कालरा को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रधानमंत्री और रेलमंत्री कोई निश्चित कदम उठाएंगे?

'इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग ट्रेनिंग सेंटर' एवं 'नवनिर्मित इंट्रीग्रेटेड लर्निंग सेंटर' का उद्घाटन

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने हाल ही में सिग्नल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, गोरखपुर में 'इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग ट्रेनिंग सेंटर' एवं 'नवनिर्मित इंट्रीग्रेटेड लर्निंग सेंटर' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर

अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा, मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर आदित्य कुमार, सभी विभाग प्रमुख तथा सिगनल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. इस मौके पर महाप्रबंधक द्वारा मॉडल क्लास रूम एवं डबल लाइन ब्लॉक पैनल यूजिंग यूएफएसबीआई के ट्रेनिंग मॉडल का भी उद्घाटन किया गया.

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल विभाग द्वारा विकसित एवं संवर्धित यह ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षुओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा. उन्होंने कहा कि रेल यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण करना नितांत आवश्यक हो गया है तथा इसके रख-रखाव एवं संचालन हेतु उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए इस संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण एक सार्थक पहल है.

उन्होंने कहा कि इस संस्थान में प्रशिक्षित सिगनल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी दुर्घटनारहित रेल संचालन एवं शून्य सिगनल विफलता लाने में सफल होंगे. महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर विकसित यह प्रशिक्षण संस्थान अन्य रेलों के लिए भी अनुकरणीय होगा. उन्होंने उपस्थित विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभाग के लिए इसी प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश भी दिए. इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने प्रशिक्षण संस्थान के 'स्थापना एवं अनुरक्षण' तथा 'इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग' पुस्तिका का विमोचन किया.

इसके पूर्व, महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर आदित्य कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य में प्रशिक्षण देने हेतु आधुनिक उपकरणों की स्थापना की गई है, जिससे प्रशिक्षुओं को संरक्षा तकनीक की आधुनिक जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सिगनल विफलताओं को नगण्य किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इस संस्थान में रिमोट पर आधारित सिगनल पॉइंट्स को कंट्रोल करने तथा केंद्रीय ट्रैफिक कंट्रोल का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान में माड्यूलर क्लास रूम की स्थापना की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कम समय में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा सकेगा.

पेंशन अदालत में किया गया 104 मामलों का तत्काल निपटारा

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर में सोमवार, 17 जुलाई को 'पेंशन अदालत' का आयोजन किया गया. पेंशन अदालत में कुल 96 मामले विचारार्थ प्राप्त हुए थे. इनमें से 52 मामलों का निस्तारण तत्काल कर दिया गया. शेष 44 मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. इसके अलावा मुख्यालय से संबंधित प्राप्त कुल 53 मामलों में से 28 मामलों का निस्तारण किया गया. शेष 25 मामलों में नियमानुसार प्रक्रिया की जा रही है. इसी प्रकार यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर से संबंधित प्राप्त 43 मामलों में से 24 का निस्तारण इस मौके पर किया गया. बाकी 19 मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. इस प्रकार उक्त पेंशन अदालत में कुल 104 मामलों का अंतिम निपटारा किया गया, जबकि कुल 88 मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक योगेश अस्थाना ने पेंशन अदालत के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के परिवादों का निपटारा शीघ्रता से हो जाता है. मुख्य कार्मिक अधिकारी एल. बी. राय ने कहा कि अपने दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए रेल प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की समस्याओं का निपटारा टास्क फोर्स के रूप में किया जाता है, जिससे उन्हें अतिशीघ्र न्याय मिल सके. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/डब्लूएसटी जयराज ने कहा कि हर सरकारी कर्मचारी भविष्य का पेंशनर है. अतः हमें सेवानिवृत्त कर्मियों की पूरी तत्परता से सहायता करनी चाहिए.

पेंशन अदालत की अध्यक्षता पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक योगेश अस्थाना ने की. इस मौके पर मुख्य कार्मिक अधिकारी एल. बी. राय, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन श्रीप्रकाश, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/डब्लूएसटी जयराज, मुख्य कारखाना प्रबंधक, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर बी. एस. दोहरे, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराजपत्रित ए. के. सिंह, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित सी. पी. दुबे, सहायक कार्मिक अधिकारी आनंद कुमार, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन ब्रह्मानंद सिंह, महामंत्री अर्जुन कुमार कोहली, एन. ई. रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी तथा भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह ने पेंशन अदालत को पेंशनर्स के लिए न्याय का मंदिर बताते हुए कहा कि इस अदालत में हुए निर्णयों का अनुपालन शीघ्रतापूर्वक सुनिष्चित किया जाए, जिससे पेंशनर्स को अन्य किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. कार्यक्रम का संचालन उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराजपत्रित ए. के. सिंह ने किया तथा उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित सी. पी. दुबे ने सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति समीक्षात्मक बैठक संपन्न

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण एल. एम. झा की अध्यक्षता में 4 जुलाई को निर्माण संगठन सभाकक्ष में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही की

हिंदी के प्रथम उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की जयंती पर परिचर्चा का आयोजन

समीक्षात्मक बैठक और विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन तथा हिंदी के पहले उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की जयंती पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री झा द्वारा 20 हजार शब्दों का प्रयोग, डिक्टेशन देने एवं टिप्पणी आलेखन राजभाषा हिंदी में करने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया. कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी संजय सिंह ने उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला. वरिष्ठ अनुवादक श्याम बाबू शर्मा ने विशेष हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत ऑफ लाइन वायस टाइपिंग एवं कम्प्यूटरों पर यूनीकोड सक्रिय करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/सामान्य वी. के. सिंह एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी पी. के. पाठक तथा सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण प्रदीप कुमार, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण संजय सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया. राजभाषा अधिकारी/निर्माण श्रीमती कमलासिनी तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापित किया. इस अवसर पर निर्माण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

मुख्य यांत्रिक अभियंता देवेंद्र कुमार ने झांसी कारखाने का निरीक्षण किया

झांसी : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य यांत्रिक अभियंता देवेंद्र कुमार ने झांसी यांत्रिक कारखाने का निरीक्षण किया. उन्होंने रिहैब शॉप, स्ट्रिपिगं शॉप, डब्ल्यूआर शॉप, पिटलाइन, ट्राली शॉप, वैल्डिंग बूथ और एनटीडब्ल्यूएस शॉप का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कई महत्वपूर्ण सुधारों का निर्देश दिया. बॉक्सएन, बॉक्सएनएचएस, बीसीएन, बीसीएनएचएस और ईयूआर रेक में चल रहे कार्य प्रगति की जानकारी ली. इसके बाद एसटीसी परिसर में उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया.

इस अवसर पर मुख्य कारखाना प्रबंधक अनिल कुमार जतारिया, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/आरा मोन्टू लाल घोष, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/निरीक्षण संजय कुमार चौहान, उप मुख्य वित्त सलाहकार एवं लेखाधिकारी अनिल एम. बजीरानी, उप मुख्य सामाग्री प्रबंधक अकमल वदूद, करूणेश श्रीवास्तव, प्राचार्य एसटीसी, उप मुख्य विद्युत अभियंता अनुभव अग्रवाल, कार्य प्रबंधक हरीश कुमार, आर. सी. निरजंन, एस. पी. श्रीवास्तव, उत्पादन इंजीनियर ए. के. तिवारी, अनिल कुमार, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी जी. आर. अहिरवार, मानसी वर्मा, एईएन होरी लाल, सहायक कार्य प्रबंधक चंदन सिंह आदि उपस्थित थे.

पूर्वोत्तर रेलवे ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करने का रिकार्ड स्थापित किया है –रवींद्र गुप्ता

मेंबर रोलिंग स्टॉक, रेलवे बोर्ड रवींद्र गुप्ता का पूर्वोत्तर रेलवे का निरीक्षण दौरा सम्पन्न

गोरखपुर ब्यूरो : मेंबर रोलिंग स्टॉक, रेलवे बोर्ड रवींद्र गुप्ता ने बुधवार, 5 जुलाई को महाप्रबंधक सभाकक्ष, गोरखपुर में आयोजित एक बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाष त्रिवेदी, अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ए. के. सिंह एवं सभी विभाग प्रमुखों के साथ यांत्रिक विभाग की कार्य-प्रणाली के विभिन्न पक्षों पर व्यापक विचार-विमर्श किया. बैठक को सम्बोधित करते हुए मेंबर, रोलिंग स्टॉक रवींद्र गुप्ता ने पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग की कार्य कुशलता एवं उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग ने रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही अनेक क्षेत्रों में लक्ष्य से अधिक कार्य करने के रिकार्ड भी स्थापित किए हैं. श्री गुप्ता ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों पर संरक्षा, समय पालन एवं साफ-सफाई की विशेष रूप से मानिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि संरक्षित रेल संचलन सुनिष्चित करने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

मेंबर, रोलिंग स्टॉक ने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के कोच प्रयोग में लाए जाएंगे. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गोरखपुर मैकेनाइज्ड लांड्री की चार टन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 5.5 टन करने का निर्देश दिया. रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि अंडर गियर के अनुरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने रोलिंग लाईट एवं पिट लाईट को उत्कृष्ट स्तर का बनाए रखने का निर्देश दिया. साथ ही पिट लाईन में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करने का कहा. यांत्रिक कारखानों के स्तर में निरन्तर सुधार के लिए सजग रहने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि यांत्रिक कारखानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए रेटिंग की नई व्यवस्था लागू की जा रही है. उन्होंने कारखानों में पर्याप्त मात्रा में औजार एवं स्पेयर पार्टस की उपलब्धता पर ध्यान देने का निर्देश दिया. श्री गुप्ता ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा पिट लाइनों तथा कारखानों में सुधार के लिए अलग-अलग 100 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गयी है. उन्होंने कहा कि फिटर्स हेतु उन्नत किस्म का किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के गुणवत्तापूर्ण औजार उपलब्ध हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाष त्रिवेदी ने कहा कि मेंबर, रोलिंग स्टॉक रवींद्र गुप्ता द्वारा दिए गए सुझाव अत्यन्त व्यवहारिक एवं बहुमूल्य हैं. पूर्वोत्तर रेलवे पर इन्हें कार्यान्वित करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा. उन्होंने आष्वस्त किया कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सारे लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हम उससे भी अधिक कार्य-निष्पादन के लिए प्रयत्नषील रहेंगे.

इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ए. के. सिंह ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि मेंबर, रोलिंग स्टॉक रवींद्र गुप्ता का मार्गदर्शन यांत्रिक विभाग को मिलता रहा है तथा उसके अनुसार कार्य कर हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल हुए हैं. उन्होंने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से यांत्रिक विभाग की कार्य-प्रणाली एवं उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी.

पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी के प्रयोग–प्रसार में अन्य रेलों की मार्गदर्शक है –एस.पी.त्रिवेदी

पूर्वोत्तर रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हाल ही में महाप्रबंधक बैठक कक्ष, गोरखपुर में संपन्न हुई. बैठक में अपर महाप्रबंधक एस. एल. वर्मा, सभी विभाग प्रमुख, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य सुनील योगी तथा मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे हिंदी के प्रयोग-प्रसार की दिशा में सदैव अग्रणी रहा है तथा अन्य रेलों की मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्रोत भी है.

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे वार्षिक कार्यक्रम में दी गई अधिकांश मदों में अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, फिर भी राजभाषा विभाग द्वारा इसका गहन निरीक्षण कराया जाए और जहां कहीं कमी रह गई हो, उसे दूर किया जाए. महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार इस रेलवे पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' विषय पर हिंदी में निबंध, वाक् तथा काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने वर्ष 2016 के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत चिकित्सा विभाग, इज्जतनगर मंडल तथा यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर को प्रशस्ति-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया.

इससे पहले मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ए. के. सिंह ने

समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के हर क्षेत्र में काफी आगे है. उन्होंने कहा कि हम नवीन क्षेत्रों में भी राजभाषा के प्रसार का प्रयोग कर रहे हैं. मुख्य राजभाषा अधिकारी ने कहा कि इस रेलवे के सभी कम्प्यूटरों पर यूनीकोड सक्रिय करा दिया गया है तथा कम्प्यूटर प्रयोगकर्ताओं को हिंदी कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है.

बैठक में रेलवे हिंदी सलाहाकार समिति के सदस्य सुनील योगी ने पूर्वोत्तर रेलवे पर राजभाषा प्रयोग-प्रसार की स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की. श्री योगी ने राजभाषा हिंदी को सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सुझाव भी दिए. वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के प्रमुख निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से सदस्यों को अवगत कराया. इस अवसर पर उन्होंने रेलवे बोर्ड की संशोधित मानक कार्य सूची के अनुसार चर्चा की.

इस मौके पर सभी विभाग प्रमुखों, मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों तथा यांत्रिक, सिगनल, पुल कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधकों ने अपनी-अपनी इकाईयों में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की स्थिति से महाप्रबंधक को अवगत कराया. वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बैठक का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन किया.

महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने किया

एसएमएस आधारित विद्युत परिवाद प्रणाली का उद्घाटन

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सत्य प्रकाश त्रिवेदी ने 4 जुलाई को एसएमएस आधारित विद्युत परिवाद प्रणाली का केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष, गोरखपुर में उदघाटन किया. इस अवसर पर प्रमुख विद्युत इंजीनियर योगेश अस्थाना, सभी विभाग प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

महाप्रबंधक श्री त्रिवेदी ने इस एसएमएस आधारित विद्युत परिवाद प्रणाली की कार्य-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रणाली से स्टेशनों, कार्यालयों एवं रेलकर्मियों के आवासों में विद्युत शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था इंजीनियरिंग एवं अन्य कार्यालयों में भी की जाए, जिससे समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से हो. उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया तथा इसके विस्तारीकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने नियंत्रण कक्ष में प्रसाधन के प्रावधान तथा उच्च कोटि का फर्नीचर उपलब्ध कराने को कहा.

इसके पूर्व, मुख्य विद्युत इंजीनियर योगेश अस्थाना ने महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करते हुए एसएमएस आधारित विद्युत परिवाद प्रणाली की कार्य-प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि इस कार्य-प्रणाली के शुरू हो जाने से विद्युत आपूर्ति के संबंध में दर्ज शिकायत शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से सूचित कर संतुष्ट किया जा सकेगा.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) की 23वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिवसीय बैठक दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज संघ सभागार, चेन्नई में 27 से 29 जुलाई 2017 को संपन्न हुई. बैठक में अध्यक्ष गुमान सिंह, महामंत्री डॉ. एम. राघवैया, कार्याध्यक्ष डॉ. आर. पी. भटनागर सहित सभी सम्बद्ध जोनल संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और सातवें वेतन आयोग की भत्तों संबंधी सरकार की वादाखिलाफी के प्रति सभी वक्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया.

विपिन कुमार सिंह बने झांसी मंडल के नए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक

झांसी : वर्ष 2008 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने 21 जुलाई को उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया. यहां आने से पहले वह उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, इलाहाबाद में उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सामान्य) के पद पर कार्यरत थे. श्री सिंह द्वारा हाल ही में 'ई-निरीक्षण' नाम से रेलवे के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसका उदघाटन महाप्रबंधक/उ.म.रे. एम. सी. चौहान द्वारा 19 जून को किया गया था. यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. इसके इस्तेमाल से रेल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा रेलवे को पेपर-लेस करने में यह अत्यंत सुविधाजनक साबित होगा.

अमित सुदर्शन झांसी मंडल के नए सहायक वाणिज्य प्रबंधक

वर्ष 2014 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी अमित सुदर्शन ने झांसी मंडल के नए सहायक मण्डल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है. झांसी मंडल में पोस्टिंग से पूर्व अमित सुदर्शन ने भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. श्री सुदर्शन ने आईआईटी, रुड़की से वर्ष 2010 में स्नातक की डिग्री हासिल की है.

महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे द्वारा प्रयाग एवं प्रयागघाट स्टेशनों का निरीक्षण

प्रयाग : इलाहाबाद ब्यूरो : महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे आर. के. कुलश्रेष्ठ ने प्रयाग एवं प्रयागघाट स्टेशनों का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने आगामी अर्धकुंभ मेले के मद्देनजर प्रयाग एवं प्रयागघाट पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और प्रयाग स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया.

प्रयाग स्टेशन पर एक अतिरिक्त एफओबी, सर्कुलेटिंग एरिया में यात्री आश्रय, सर्कुलेटिंग एरिया का उन्नयन, प्लेटफार्म संख्या एक की सतह का नवीनीकरण, प्लेटफार्म संख्या 1, 2, 3 पर उपलब्ध प्लेटफार्म शेल्टरों का विस्तार, द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास, प्लेटफार्म संख्या 1-3 पर वाशेबल एप्रन का प्रावधान तथा निर्भया निधि के अंतर्गत स्वीकृत सीसीटीवी लगाने का कार्य एवं यात्रियों को प्रदत्त अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रयाग

स्टेशन पर प्रावधान इत्यादि महाप्रबंधक के निरीक्षण एवं समीक्षा के मुख्य विषय रहे. इसके अतिरिक्त प्रयाग घाट स्टेशन पर महाप्रबंधक ने चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया.

उन्होंने इलाहाबाद-फाफामऊ रेल खंड के दोहरीकरण की प्रगति के संबंध में निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. आगामी अर्धकुंभ मेले के बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि वे स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर यात्री सुविधाओं, यात्री प्रवास आदि के संबंध में चल रही तैयारियों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करें. इस अलावा उन्होंने इस खंड पर पड़ने वाले आरयूबी एवं समपारों का निरीक्षण किया. इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण पी. के. सांघी, मुख्य अभियंता/सामान्य के. सी. सांसी, अपर मंडल रेल प्रबंधक, उ.रे./लखनऊ सुरेश कुमार सप्रा एवं मंडल के सभी विभागों के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

डब्ल्यूआरएमएस, गांधीधाम शाखा ने पहुंचाई बाढ़ प्रभावित रेलकर्मियों को आवश्यक मदद

अहमदाबाद : वेस्टर्न रेलवे मंजदूर संघ, अहमदाबाद मंडल के मंडल मंत्री आर. ए. भाटिया के मार्गदर्शन में 26 जुलाई को अहमदाबाद-गांधीधाम खंड में भारी वर्षा के कारण प्रभावित स्टेशनों इंद्रानगर, कटारिया, वाधपुरा, पीपली, वराई, छाणसरा एवं देवगांव तक गांधीधाम शाखा की तरफ से आवश्यक खाद्य एवं राहत सामग्री पहुंचाई गई. इस मौके पर चलाई गई विशेष राहत गाड़ी द्वारा डब्ल्यूआरएमएस, गांधीधाम शाखा की टीम ने उक्त सभी स्टेशनों पर राहत साम्रगी का वितरण किया तथा सभी स्टेशनों का जायजा लिया, जिसमें इंद्रानगर और वराई स्टेशनों स्थिति अत्यंत दयनिय पाई गई. इसकी जानकारी मंडल मंत्री भाटिया ने प्रशासन को दी.

मंडल के गांधीधाम से इंद्रानगर, वराई, छाछरा, वाघपुरा, राधनपुर तक बाढ़ से प्रभावित स्टेशनों पर तैनात रेलकर्मियों तथा उनके परिवारों की तकलीफ को समझते हुए एआरएम/गांधीधाम की सहायता से गांधीधाम से एक विशेष राहत गाड़ी (वोटर

स्पेशल) रवाना की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा सामाख्याली से इंद्रानगर और पालनपुर खंड के स्टेशनों में बाढ़ में फंसे रेलकर्मियों और उनके परिजनों के लिए पीने का पानी भेजा गया. इस विशेष ट्रेन में 500 लीटर वाली 30 पानी की टंकियां रखवाई गई, जिन्हें सामाख्याली से मालिया तथा पालनपुर खंड में वितरित किया गया.

इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, गांधीधाम शाखा की तरफ से 120 किलो आटा, 60 किलो चावल, 60 किलो दाल, 60 किलो शक्कर, 60 किलो आलू, 60 किलो प्याज और 10 किलो चायपत्ती भेजी गई. इसी ट्रेन से शाखा सचिव वीरेंद्र गहलोत, हरिराम यादव, नरपत सिह परमार, मनोज मेहता, पुखराज बुंदेल, महेन्द्र सिह चौहन और शोनु कुमार गार्ड के साथ भोजन सामग्री लेकर गए. इसे प्रभावित स्टेशनों पर रेलकर्मियों एवं उनके परिजनों को वितरित किया गया. इस वितरण के लिए स्टेशन अधीक्षक एस. के. यादव, एआरएम, डीएमई और एडीएसटीई, गांधीधाम का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ.

डब्ल्यूआरएमएस, गांधीधाम शाखा की टीम ने इस दौरान हर स्टेशन के कर्मचारी से सम्पर्क किया तथा उनकी समस्या से मंडल मंत्री सहित प्रशासन को अवगत कराया. इस कार्य में गांधीधाम के सभी अधिकारियों और कंट्रोल के कर्मचारियों का सहयोग मिला. इस विशेष गाड़ी को चलाने में प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा. वेस्टर्न रेलवे मंजदूर संघ ने इसके लिए प्रशासन सहित कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया है.

टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने गरीब बच्चों को कराया भोजन

कल्याण : टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, मुंबई मंडल, मध्य रेलवे, कल्याण ने अपनी स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर 18 जुलाई को कल्याण स्थित 'सलाम बालक ट्रस्ट' में रहने वाले बच्चों को भोजन कराया. एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार गर्ग ने बताया एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर गरीब बच्चों को खाने, कपड़े एवं उनके स्कूल की फीस भरने, रेल यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करने इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. कार्यक्रम को सफल बनाने में उमेश डी. ठाकुर, देवराज मीना, हेमंत पोरे, के. के. शर्मा, श्रीमती समृद्धि रेडेकर इत्यादि टिकट चेकिंग स्टाफ का सहयोग सरहानीय रहा.

PNM-'परमानेंट न्यूसेंस मशीनरी' और JCM-'जॉइंट कांस्पिरेसी मशीनरी' बन गई...

पेज 1 का शेष... के चुनावों में पीआरकेपी और बीआरएमएस को चुनकर लाने में वह संगठन की पूरी मदद करेंगे.

इस मौके पर मंडल मंत्री संजय शुक्ला ने मंत्री रिपोर्ट और मंडल कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद साहू ने लेखाजोखा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बाबू तुकाराम महाड्गुत ने कहा कि पीआरकेपी की यह आमसभा मांग करती है कि रेल उद्योग का हर स्तर पर श्रमिकीकरण किया जाए, जिससे रेल कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन में भागीदारी मिले. उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था मंडल, जोन और राष्ट्रीय यानि त्रिस्तरीय है, जिसे 'पीएनएम', 'जेसीएम' एवं 'प्रेम' के नाम से जाना जाता है. विगत 70 वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था में जंग लग चुका है. उन्होंने कहा कि यह अब पूरी तरह से निष्क्रिय और निष्फल हो चुकी है. इस ठहर गई व्यवस्था को बदलने की जरुरत है.

इस अवसर पर उन्होंने उपरोक्त तीनों व्यवस्थाओं को नए सिरे से परिभाषित और प्रस्तवित करते हुए कहा कि पीएनएम अर्थात 'परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी', जसे हिंदी में 'स्थाई वार्ता तंत्र' भी कहा जाता है, अब 'परमानेंट न्यूसेंस मशीनरी' बन चुकी है. उन्होंने कहा कि यद्यपि यह व्यवस्था मंडल, जोन एवं बोर्ड तीनों स्तर पर है, परंतु इसमें ट्रांसफर, प्रमोशन और अपनों की चार्जशीट कैंसिलेशन के अलावा अन्य रेलकर्मियों के हित में कोई निर्णय नहीं हो पाते हैं, जिससे यह व्यवस्था आज पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है. अतः इसकी जगह कोई नई एवं कारगर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. उनके

इस प्रस्ताव का मंडल मंडल मंत्री संजय शुक्ला द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया.

श्री महाड्गुत ने अपने दूसरे प्रस्ताव में कहा कि जेसीएम अर्थात 'जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 'संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र' कहा जाता है, यह द्विपक्षीय है, परंतु केंद्रीय कर्मचारियों का यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फोरम अब वास्तव में 'जॉइंट कांस्पिरेसी मशीनरी' यानि 'संयुक्त विवाद तंत्र' में बदल गया है. उन्होंने कहा कि इस फोरम की निर्धारित बैठकें तो होती ही नहीं है, जबकि पिछले एक दशक से इसकी उपादेयता और कार्य-निष्पादन लगभग शून्य है. ऐसी स्थिति में इस पूरी 'जॉइंट कांस्पिरेशी मशीनरी' को बदलकर 'संयुक्त कारगर तंत्र' बनाए जाने की आवश्यकता है. इस प्रस्ताव को भी संजय शुक्ला के अनुमोदन के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया.

उन्होंने अपने तीसरे प्रस्ताव में कहा कि 'प्रेम' अर्थात 'पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लाइज इन मैनेजमेंट' यानि 'रेल प्रबंधन में रेलकर्मियों की भागीदारी' इसका मतलब है. परंतु वास्तव में कभी छठे-छमासे होने वाली इसकी बैठकों में सिर्फ चाय-पानी, भाषण और भोजन ही होते हैं. इसकी बैठकों का न तो कोई एजेंडा होता है, और न ही कोई कार्यवृत्त. इस तरह रेलकर्मियों को अपनी काबिलियत दर्शाने का मौका देने वाला यह अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय फोरम भी 'रेल प्रबंधन में रेलकर्मियों की भागीदारी' के बजाय वास्तव में 'रेल प्रबंधन से रेलकर्मियों का प्रथक्करण' बनकर रह गया है. इसलिए इसका भी उचित पुनर्गठन करके इसकी सार्थकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इस प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से पारित किया गया.

कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंडल मंत्री संजय शुक्ला ने कहा कि 'रेलवे समाचार' द्वारा विगत में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बाद जीएम कोटे की भर्तियों पर अंकुश लगा है, जिससे मान्यताप्राप्त संगठनों द्वारा अब इस कोटे का दुरुपयोग काफी हद तक बंद हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग से संबंधित वेतन-भत्तों पर स्थापित रेल संगठनों द्वारा लिए गए लगातार अनिश्चित निर्णयों से उनके प्रति रेलकर्मियों का मोह बहुत बुरी तरह से भंग हुआ है. यह सही समय ही कि सभी गैर-मान्यताप्राप्त संगठन एकजुट होकर रेलकर्मियों को संगठित करें, जिससे अगले वर्ष यूनियनों की मान्यता संबंधी होने वाले चुनावों में उन्हें कड़ी शिकस्त दी जा सके.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बतौर जोनल अध्यक्ष उपस्थित जन-समूह को संबोधित करते हुए महेश शुक्ल ने कहा कि पीएनएम-जेसीएम-प्रेम जैसी समयबाह्य हो चुकी व्यवस्थाओं की बदौलत पिछले सात वेतन आयोगों से लगातार रेलकर्मियों की बुनियादी मांगों की उपेक्षा हो रही है. अतः अब सही समय आ गया कि जब रेल प्रबंधन में रेलकर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है. इस अवसर पर सी.वी.एल.फनी और असीम मजूमदार ने अगले वर्ष होने वाले संगठनों के मान्यता संबंधी चुनावों के मद्देनजर उपस्थितों को संबोधित करते हुए उनका मार्गदर्शन किया. कार्यक्रम के अंत में संजय द्विवेदी ने सभी आमंत्रितों और उपस्थितों को धन्यवाद ज्ञापित किया.

इस मौके पर पीआरकेपी, मुंबई मंडल की नई मंडल कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जो इस प्रकार है- मंडल अध्यक्षः बाबू तुकाराम महाड्गुत, कार्याध्यक्षः सुरेश नायर, उपाध्यक्षः शैलेश म्हात्रे, रामभद्र दुबे, द्विजेंद्र सिंह, मुकेश सोलंकी, मंडल मंत्रीः संजय शुक्ल, संयुक्त मंडल मंत्रीः देवा सोमा रत्नम, मुर्तुजा खान, शिवशंकर तिवारी, सुनील यादव, मंडल संगठन मंत्रीः रवीन्द्र चौधरी, नवीन सिन्हा, दिनेश राठौर, विवेश तिवारी, अनिल मिश्रा, महिला प्रमुखः श्रीमती अर्चना गणेश सांगले, कोषाध्यक्षः किरन निकम और कार्यालय मंत्री के रूप में यशवंत नारायण मोरे का सर्वसम्मति से चयन किया गया.

जेई/वर्क्स/निर्माण मधु समझदार की हत्या के विरोध में ईसीआरकेयू का मोर्चा

पटना : पूर्व मध्य रेलवे निर्माण संगठन में जेई/वर्क्स के पद पर धनबाद मंडल में कार्यरत मधु समझदार की हत्या के विरोध में पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन ने 7 जुलाई को निर्माण संगठन के महेंद्रू घाट, पटना स्थित कार्यालय के समक्ष एक मोर्चा निकालकर इस अमानवीय घटना के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया. जेई स्व. समझदार 4 जुलाई से लापता थे. उनकी मृतदेह 6 जुलाई को कार्यस्थल बालूमाथ के पास एक गड्ढ़े से बरामद हुई. यूनियन ने उनकी हत्या को हादसा बताए जाने पर क्षोभ व्यक्त किया है, क्योंकि यूनियन की नजर में प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है. यूनियन ने मांग की है कि घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए. यूनियन की मांग पर रेल प्रशासन द्वारा स्व. समझदार का समस्त निपटारा भुगतान उनके परिजनों को कर दिया गया है.

अब घटिया खानपान सेवा में भी टॉप...

पेज 1 का शेष... चलती गाड़ियों और खानपान स्टालों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को खाने के लिए उपलब्ध कराई जा रही खानपान की वस्तुएं अत्यंत दूषित हैं. डिब्बाबंद पदार्थ और बोतलबंद पीने का पानी उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक्सपायरी डेट बीत जाने के बावजूद बेचा जा रहा है. इसके अलावा अनधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं.

सीएजी की जांच में यह भी पाया गया कि रेल परिसरों और ट्रेनों में साफ-सफाई का कतई कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है. इसके अलावा चलती गाड़ियों में बेची जा रही चीजों का बिल न दिए जाने और खानपान की गुणवत्ता में कई प्रकार की खामियों की भी शिकायतें मिली हैं. सीएजी और रेलवे की संयुक्त जांच टीम ने कुल 78 रेलवे स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना किया. ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेनों और स्टेशनों पर कहीं भी साफ-सफाई नहीं रखी जा रही है. इसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए नल से सीधे अशुद्ध पानी लेकर इस्तेमाल किया जा रहा था. कूड़ेदान ढ़के नहीं हुए थे और उनकी नियमित अंतराल पर सफाई नहीं हो रही थी. खाने की चीजों को मक्खी, कीड़ों और धूल से बचाने के लिए ढ़ककर नहीं रखा जा रहा था. इसके अलावा ट्रेनों में चूहे और कॉकरोच भी पाए गए.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे लंबी दूरी की कई ट्रेनों में पैंट्रीकार उपलब्ध कराने में नाकाम रही है. रिपोर्ट के अनुसार जिन ट्रेनों में पैंट्रीकार उपलब्ध हैं, उनमें एक ओर बेची जा रही चीजों का रेट कार्ड उनके वेंडरों/मैनेजरों के पास उपलब्ध नहीं पाया गया, तो दूसरी तरफ चीजें निर्धारित से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थीं. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाने की चीजें निर्धारित से कम मात्रा में दी जा रही हैं. अनधिकृत कंपनियों के डिब्बाबंद पदार्थ और अनधिकृत पानी की बोतलें बेची जा रही थीं. रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि रेल परिसरों में ओपन मार्केट की तुलना में ज्यादा कीमत पर चीजें बेची जा रही हैं. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मैनेजमेंट स्तर पर लगातार हो रहे बदलाव को बड़ा कारण बताया है, जिससे यात्रियों को नुकसान हुआ है.

ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने बार-बार बदली जा रही रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से भारतीय रेल ने तीन बार अपनी कैटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया. कई ऐसी कैटरिंग सर्विस जिन्हें वर्ष 2005 में आईआरसीटीसी को दिया गया था, उन्हें पुनः वर्ष 2010-11 में जोनल रेलों को सौंप दिया गया. इन्हें अब एक बार फिर आईआरसीटीसी को दे दिया गया है. कैटरिंग पॉलिसी में बार-बार बदलाव करने से कैटरिंग सर्विस मुहैया कराने वाले मैनेजमेंट पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेल प्रशासन जरूरी बेस किचन, ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीनों जैसा कोई बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सात जोनल रेलों में अब तक कैटरिंग सर्विस के लिए जरुरी प्रावधानों का ब्लूप्रिंट ही तैयार नहीं किया गया है.

इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विस में अन्य बहुत सारी अनियमितताओं पर भी

सवाल उठाए हैं. भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विस एवं पालिसी पर सवाल खड़ा करने वाली सीएजी की यह रिपोर्ट वास्तव में रेलमंत्री की कार्य-प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है, जो कि मूढ़ टाइप के कुछ कैटरिंग अधिकारियों की सलाह पर ई-कैटरिंग, फलाना कैटरिंग, ढ़ेकाना कैटरिंग इत्यादि का ढ़ोल पीट रहे हैं. मगर इसकी वास्तविक समस्याओं से अंजान हैं. इसके साथ ही जब यात्रियों के तमाम टेढ़े सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वह लंबे समय से बिगड़ी व्यवस्था के रातों-रात ठीक नहीं हो जाने का विलाप करने लगते हैं.

रेलमंत्री की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने आईआरसीटीसी के महाभ्रष्ट सीएमडी को अपना बगलबच्चा बनाया और उसकी बातों पर भरोसा करके भारतीय रेल के समस्त पैंट्रीकार व्यवसाय सहित अन्य कई प्रकार की खानपान सेवाएं पुनः आईआरसीटीसी को सौंप दिया, जहां समय-समय पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं होने से यह फिर पुराने ढ़र्रे पर आ गई हैं. उनकी अथवा सरकार की दूसरी बड़ी गलती यह है कि उन्होंने रेलवे के शीर्ष पद पर एक कलर ब्लाइंड स्टोरकीपर की पुनर्नियुक्ति कर दी, जिसने उन्हें तमाम घोषित-अघोषित ट्रेनों के उदघाटनों में उलझाकर अपनी मनमर्जी से रेल प्रशासन का बंटाधार कर दिया. उनकी तीसरी बड़ी गलती यह है कि उनके पास न तो सही सलाहकार हैं और न ही उनके पास किसी बात को पूरा सुनने-समझने का पर्याप्त धैर्य है और न ही समझ.

'रेलवे समाचार' का मानना है कि रेलवे कैटरिंग पर सीएजी की रिपोर्ट उसी प्रकार शत-प्रतिशत सही है, जिस प्रकार रेलवे के भ्रष्टाचार में शीर्ष पर होने की उसकी रिपोर्ट शत-प्रतिशत सही थी. इसके बावजूद जिस तरह रेलवे में भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लग पाई है और प्रधानमंत्री सहित रेलमंत्री ने भी जिस तरह उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करके बयानबाजी की, उससे रेलवे की लोमड़ प्रवृत्ति वाली नौकरशाही और ज्यादा भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हुई है. ठीक यही सब अब कैटरिंग सर्विस के भ्रष्टाचार पर होने वाला है. इस पर अब तक रेलमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है.

सीएजी ने भारतीय रेल के 8000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों में से मात्र 78 का भ्रमण किया और लगभग 12 हजार यात्री ट्रेनों में से सिर्फ 80 ट्रेनों की जांच करके अपना उपरोक्त निष्कर्ष निकाला है. सोचो यदि यदि इनमें से आधे या एक चौथाई स्टेशनों और आधी अथवा एक चौथाई गाड़ियों का भी भ्रमण सीएजी ने किया होता, तो उसकी यह रिपोर्ट और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी. यानि सीएजी की यह रिपोर्ट मात्र एक बानगी है. तब यह हाल है. 'रेलवे समाचार' बार-बार यह कहता रहा है कि यात्री एवं खानपान सेवाओं के मामले में रेलवे द्वारा देश की जनता को लगातार दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो कि सीएजी की उपरोक्त दोनों रिपोर्टों से सही प्रमाणित हो रहा है.

'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको लालू ने ठगा नहीं'

लालू ने किया था रेलवे में अरबों रुपये का अधिकारी पदोन्नति घोटाला

स्वयंभू बन गए लालू यादव ने स्थापित सरकारी नियमों को ताक पर रखा

लालू प्रसाद यादव के निहितस्वार्थों ने अधिकारी एकता पर करारी चोट की

सभी जांच एजेंसियों के साक्ष्यों से साबित हुआ अधिकारी पदोन्नति घोटाला

गोयल के साथ रेलवे में घोटालों पर विवेक सहाय को भी घेरे में ले सीबीआई

पेज 1 का शेष... आ रहा है. इस अंक में लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्रित्व काल में हुए कारनामों को परत-दर-परत उघाड़ने की कोशिश की गई है.

तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए अरबों रूपयों के इस ग्रुप 'ए' अधिकारी पदोन्नति घोटाने का घटनाक्रम इस प्रकार है-

बाजपेयी सरकार का ऑप्टिमाइजेशन का नियम :

1. वर्ष 2001 में बाजपेयी सरकार द्वारा ऑप्टिमाइजेशन रूल (बेहतरीन नियम) के तहत सभी मंत्रालयों को प्रतिवर्ष कुल कैडर के 2% पदों को खत्म करने का आदेश दिया गया. रेल मंत्रालय सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों ने इस नियम का पालन करते हुए वर्ष 2002 से होने वाली सभी ग्रेडों (ए, बी, सी एवं डी) की नई भर्तियों में प्रतिवर्ष 2% पदों को खत्म करके बचे हुए रिक्त पदों पर नई भर्तियां शुरू शुरू कर दीं.
2. बाजपेयी सरकार के द्वारा ऑप्टिमाइजेशन रूल को यूपीए सरकार ने भी वर्ष 2009 तक जारी रखा. इस प्रकार यह नियम वर्ष 2001 से 2009 तक, अर्थात भर्ती वर्ष 2002 से 2010 के बीच तकरीबन 9 वर्षों तक सभी केंद्रीय मंत्रालयों पर लागू रहा.
3. रेलवे ने वर्ष 2001 में, रेलवे की 8 संगठित सेवाओं (आर्गनाइज्ड सर्विसेज) में ग्रुप 'ए' के जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) पदों को 720 निर्धारित किया. इस प्रकार वर्ष 2001 से यूपीएससी द्वारा 180 पदों पर सीधी भर्ती की गई तथा 180 पदों को रेलवे के आंतरिक ग्रुप 'बी' अधिकारियों से प्रति वर्ष भरा जाने लगा.

लालू प्रसाद यादव के कारनामे :

4. वर्ष 2004 में लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री बने. उनके रेलमंत्री बनने के साथ ही वर्ष 2005 में रेलवे के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के रिक्रूटमेंट रूल्स (भर्ती वाले नियमों) में छेड़छाड़ कर आंतरिक या विभागीय ग्रुप 'बी' अधिकारियों को ग्रुप 'ए' में वार्षिक पदोन्नति के पदों को 180 से बढ़ाकर 255 कर दिया गया.

यह सर्वज्ञात है कि रेलवे की ग्रुप 'ए' सेवाओं के रिक्रूटमेंट रूल्स में गजटेड नोटिफिकेशन द्वारा ही बदलाव किया जा सकता है तथा यह गजटेड नोटिफिकेशन कैबिनेट की मंजुरी और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही निर्गत होता है. भारतीय रेलवे स्थापना कोड (आईआरईसी) भी यह स्पष्ट करता है कि रेलवे को अपने सिर्फ ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के भर्ती नियमों में ही पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है. परंतु ग्रुप 'ए' के लिए ऐसी स्वायत्तता रेलवे को नहीं मिली है. इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने अपनी मनमानी करते हुए प्रमोटी कोटे को 180 से बढ़ाकर 255 कर दिया.

रेलवे द्वारा यह बढ़ोत्तरी तब की गई, जब सभी केंद्रीय मंत्रालयों में ऑप्टिमाइजेशन का नियम जारी था. रेलवे भी प्रमोटी ग्रुप 'बी' अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी ग्रुप 'सी' और 'डी' में रेल कर्मचारियों भारी कटौती कर रही थी. इस प्रकार तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रमोटी ग्रुप 'बी' कोटे के वार्षिक ग्रुप 'ए' पदों को बढ़ा दिया था.

5. वर्ष 2006 में लालू प्रसाद यादव ने दुबारा प्रमोटी अधिकारियों के लिए ग्रुप 'ए' के वार्षिक जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) के पदों को 255 से बढ़ाकर 318 कर दिया. इस बार लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप 'ए' के जेटीएस कैडर को ही बढ़ा दिया और इसके लिए यूपीएससी से सीधी भर्ती तथा प्रमोटी अधिकारियों के बीच तय अनुपात में बदलाव की मंजूरी भी दे दी. यह तय कोटा कुल जेटीएस कैडर में 3:1 होता है. परंतु लालू प्रसाद यादव ने इस अनुपात को 3:1 से बढ़ाकर 4:1 कर दिया और फिर अगले साल पुनः इसे 4:1 से घटाकर 3:1 कर दिया. इस प्रकार नियमों में जोड़-तोड़ कर प्रमोटी अधिकारियों के लिए ग्रुप 'ए' के पदों की बढ़ोत्तरी की गई, जो पूर्णरूपेण असंवैधानिक है. जबकि यह सर्वविदित है कि रेलवे सहित किसी भी केंद्रीय मंत्रालय के ग्रुप 'ए' के पदों की बढ़ोत्तरी सिर्फ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से ही की जाती है और इसका अधिकार सिर्फ केंद्रीय कैबिनेट को है. इसके लिए ऑफिस नोटिंग डीओपीटी के माध्यम से वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है तथा उसकी सहमति के बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है.

6. वर्ष 2007 में लालू प्रसाद यादव ने पुनः प्रमोटी कोटे के वार्षिक ग्रुप 'ए' में भर्ती के पदों को 318 से बढ़ाकर 411 कर दिया. इस बढ़ोत्तरी में लालू प्रसाद यादव ने गलत गणना के तहत लीव रिजर्व पदों को रिक्त दिखाकर सभी पदों पर प्रमोटी अधिकारियों की पदोन्नति कर दी थी.

आज यह यह भी सर्वज्ञात है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों में ग्रुप 'ए' के अतिरिक्त लीव रिजर्व पदों का प्रावधान है, जिसमें प्रोबेशनरी रिजर्व, डेपुटेशन रिजर्व, स्टडी रिजर्व इत्यादि प्रमुख हैं. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की तरह रेलवे को लीव रिजर्व के अतिरिक्त पद आवंटित हैं. परंतु प्रश्न यह उठता है कि लीव रिजर्व के सभी पद एक ही साथ एक ही समय में रिक्त कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार सभी पदों के रिक्त होने की ऐसी घटना रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुई है. रेलवे द्वारा डेपुटेशन और स्टडी लीव न्यूनतम पांच वर्ष की ग्रुप 'ए' सेवा के पश्चात ही दी जाती है. इन पांच वर्षों के दौरान ग्रुप 'ए' अधिकारी जेटीएस से एसटीएस (सीनियर टाइम स्केल) में पदोन्नत हो जाता है. ऐसे में लीव रिजर्व में रिक्त पद तो हो ही नहीं सकते हैं. परंतु प्रमोटी अधिकारियों को ग्रुप 'ए' पदों की सौगात देने के चक्कर में लालू प्रसाद यादव ने लीव रिजर्व पदों को रिक्त दिखा दिया, जो कि रेलवे जैसे एक महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय के लिए अत्यंत अशोभनीय है.

7. इस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान असंवैधानिक तरीके से प्रत्येक वर्ष प्रमोटी अधिकारियों का ग्रुप 'ए' कोटा 180 से बढ़ाकर 411 कर दिया, जिससे एक तरफ अब तक रेल राजस्व को अरबों रुपये की चपत लग चुकी है, तो दूसरी तरफ तब उन्हें भी करोड़ों रुपये का अदृश्य लाभ प्राप्त हुआ था, क्योंकि बिना निजी लाभ के आज तक लालू प्रसाद यादव ने कोई काम नहीं किया है.

8. वर्ष 2008-09 में लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर प्रमोटी अधिकारियों को लाभ देने के चक्कर में सर्विस नियमों की गलत गणना करवाई. यह पूरा खेल रेलवे में छठवें वेतन आयोग की सिफारिश पर अमल करते समय किया गया. रेलवे अपने प्रमोटी ग्रुप 'बी' अधिकारियों को ग्रुप 'ए' में पदोन्नति के समय 'कैनोटेशन ऑफ पे' के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की 'एंटी-डेटिंग सीनियरिटी' देती है. इस नियम का लाभ उन सभी प्रमोटी अधिकारियों को मिलता है, जिनका मूल वेतन यूपीएससी से सीधी भर्ती हुए पांच साल की सेवा देने वाले ग्रुप 'ए' अधिकारियों के मूल वेतन से अधिक हो.

छठवां वेतन आयोग, जो वर्ष 2006 में लागू हुआ था, में केंद्रीय सरकारी कर्मियों के मूल वेतन को दो भागों में बांटा गया था, पे + ग्रेड पे. इन्हीं दोनों भागों को जोड़कर ही मूल वेतन की गणना की जाती है. ऐसे में रेलवे द्वारा गलत गणना के तहत 26,320 की जगह 18,950 को निर्धारित कर दिया गया तथा ऐसे सभी प्रमोटी ग्रुप 'बी' अधिकारियों को ग्रुप 'ए' में पदोन्नति के दौरान सीधे-सीधे पांच वर्षों की एं टी - डे टिं ग सीनियरिटी दी जाने लगी, जिसका मूल वेतन 18,950 या उससे अधिक था. ऐसा करना किसी भी केंद्रीय मंत्रालय के लिए अत्यंत निंदनीय है.

ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को रेलवे में दी गई सीधे ग्रुप 'ए' की वरीयता :

9. ऊपर बताए गए चार प्रकार से नियमों में फेर-बदलकर और गलत गणना के आधार पर प्रमोटी ग्रुप 'बी' अधिकारियों को भारी संख्या में ग्रुप 'ए' अधिकारी बना दिया गया. ऐसा भ्रष्टाचारपूर्ण करतब सिर्फ लालू प्रसाद यादव जैसे पढ़े-लिखे गंवार राजनीतिक नेतृत्व में ही हो सकता था. रेलवे में ग्रुप 'ए' में प्रमोशन का नियम अन्य केंद्रीय मंत्रालयों से अलग है. रेलवे में ग्रुप 'बी' के पदों पर यूपीएससी या स्टेट पीएससी से सीधी भर्ती नहीं की जाती है. रेलवे के आंतरिक (विभागीय) ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को ही प्रमोशन देकर ग्रुप 'बी' अधिकारी पदों पर नियुक्त किया जाता है. तत्पश्चात वरीयता के आधार पर ग्रुप 'ए' पदों पर उनको पदोन्नति दी जाती है. इस तरह रेलवे का कोई भी कर्मचारी बिना किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के ही ग्रुप 'ए' अधिकारी बन सकता है. यह एक बहुत बड़ी धांधली है, जिसे रेलवे में विधिक रूप से किया जा रहा है.

इसलिए रेलवे द्वारा वर्ष 2004 से 2009 के बीच एक साजिश के तहत प्रमोटी अधिकारियों के लिए भारी संख्या में ग्रुप 'ए' के पदों का सृजन किया गया और अयोग्य कर्मचारियों को भी ग्रुप 'ए' पदों की सौगात भेंट की गई, जिसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सारे अयोग्य प्रमोटी अधिकारियों को ग्रुप 'ए' की वरीयता सीधे-सीधे ग्रुप 'सी' सर्विस से दे दी गई. उदाहरण स्वरूप एस. एस. रायाप्पा हैं, जो दि. 29.10.2009 को ग्रुप 'सी' कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे थे. परंतु नियमों में छेड़छाड़ और गलत गणना की वजह से एस. एस. रायाप्पा को ग्रुप 'ए' की वरीयता दि. 30.10.2009 को मिल गई. अर्थात एस. एस. रायाप्पा ग्रुप 'सी' कर्मचारी से सीधे ग्रुप 'ए' अधिकारी बन गए तथा ग्रुप 'ए' पद का लाभ दि. 30.10.2009 से उठाने लगे.

लालू प्रसाद यादव ने संवैधानिक संस्था यूपीएससी को किया बाईपास :

10. यूपीएससी द्वारा सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए ग्रुप 'ए' अधिकारियों का चयन किया जाता है. ये सभी अधिकारी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ काफी कड़ी मेहनत और परिश्रम करके सीधे ग्रुप 'ए' में चयनित होते हैं. परंतु रेलवे के ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को ग्रुप 'ए' पदों का यह तोहफा देने का अत्यंत अशोभनीय करिश्मा लालू प्रसाद यादव जैसे पढ़े-लिखे गंवार और घोषित भ्रष्ट राजनीतिज्ञ द्वारा ही किया जा सकता था, जो कि संवैधानिक संस्थाओं, यूपीएससी या स्टेट पीएससी, के उद्देश्यों पर करारी चोट है.

ज्ञातव्य है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ही 'रेलवे समाचार' ने उनके तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया था. उनके निर्देश पर रेलमंत्री सेल से सभी जोनल महाप्रबंधकों को ग्रुप 'डी' में भर्ती किए जाने के लिए सैकड़ों लोगों की सूची भेजी जाती थी. इसके साथ ही रेलवे में नौकरी देने के नाम पर उन्होंने लोगों की जमीनें तो अपने कुनबे के नाम लिखवाई ही, बल्कि अपने कार्यकाल में उन्होंने आरआरबी एवं जीएम कोटे से हजारों लोगों को रेलवे में नौकरी देकर भारी भ्रष्टाचार और रेलवे का बिहारीकरण किया था. उनके इन घोटालों की जानकारी आरटीआई के जरिए रेलवे बोर्ड और विभिन्न जोनल रेलों से प्राप्त की गई थी. उसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में 'रेलवे समाचर' द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन के चलते तुनकमिजाज रेलमंत्री ममता बनर्जी तत्कालीन सीआरबी विवेक सहाय उर्फ 'विषधर' को सेवा-विस्तार नहीं दे पाई थीं, क्योंकि 'विषधर' ने ही लालू के सबसे ज्यादा लोगों की भर्ती की थी. अब सीबीआई को पी. के. गोयल के साथ ही विवेक सहाय से भी रेलवे में लालू यादव के घोटालों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए.

RTI से प्राप्त जानकारी ने किया पदोन्नति घोटाले का खुलासा :

11. रेलवे बोर्ड से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला कि रेलवे द्वारा ग्रुप 'ए' पदों में बढ़ोत्तरी के समय डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और कैबिनेट से इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी, जबकि ग्रुप 'ए' पदों में बढ़ोत्तरी, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करके कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद ही की जा सकती है.
12. आरटीआई से प्राप्त जानकारी से यह भी पता चला कि ऑप्टिमाइजेशन पालिसी लागू करने के पश्चात भी रेलवे ने ग्रुप 'ए' के पदों में कोई कमी नहीं की. अर्थात 9 वर्षों तक चलने वाली ऑप्टिमाइजेशन पालिसी से रेलवे के कुल ग्रुप 'ए' कैडर में 2% सालाना की कटौती के हिसाब से कुल 18% की कटौती की जानी थी. परंतु रेलवे ने यूपीएससी से सीधी भर्ती वाले ग्रुप 'ए' पदों में 18% की कमी कर दी और इन 18% रिक्त ग्रुप 'ए' के पदों को प्रमोटी कोटे में जोड़कर सभी ग्रुप 'ए' पदों पर रेलवे के प्रमोटी अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया. यह न सिर्फ पूरी व्यवस्था के चीटिंग थी, बल्कि इस प्रकार सभी संवैधानिक संस्थाओं की आँखों में धूल झोंकी गई और रेल राजस्व को अरबों रुपये का चूना लगाने के साथ भारी भ्रष्टाचार किया गया.

शेष पेज 11 पर...

राजेश अगरवाल को जीएम पैनल से...

पेज 1 का शेष... अपना काम समय से पूरा करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

इसके परिणामस्वरूप कई जोनल रेलों और उत्पादन इकाईयों के जीएम पद कई-कई महीनों तक खाली रहते हैं, जिससे उनका कामकाज और उत्पादन प्रभावित होता है. इसके अलावा जिन जीएम्स को दोहरा कार्यभार सौंपा जाता है, वह न घर के रहते हैं, न घाट के, की तर्ज पर न वह अपनी रेलवे या उत्पादन इकाई का कामकाज ढ़ंग से संभाल पाते हैं और न ही अतिरिक्त सौंपी गई रेलवे या उत्पादन इकाई का. इसके साथ ही जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, उसमें भी भारी विसंगति और पक्षपात नजर आता है. जहां 31 मार्च को राजीव मिश्रा के रिटायर होने पर पूर्वोत्तर रेलवे का अतिरिक्त कार्यभार कोर, इलाहाबाद के जीएम एस. पी. त्रिवेदी को सौंपा गया था, वहीं 31 मई को आर. पी. निबारिया के रिटायर होने पर आरसीएफ, कपुरथला का अतिरिक्त कार्यभार एमसीएफ, रायबरेली के महाप्रबंधक महेश कुमार गुप्ता को सौंपा गया.

जबकि 30 अप्रैल को रिटायर हुए अनिल सिंघल की जगह उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधक को सौंपा गया, मगर रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर आज भी अनिल सिंघल का ही नाम दिया हुआ है. यही नहीं, गिरीश पिल्लई के छुट्टी जाने पर भी दक्षिण पश्चिम रेलवे, जबलपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी जीएम/द.पू.म.रे. बिलासपुर को ही सौंपा गया. जबकि यह मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को सौंपा जा सकता था, जिससे वहां का कामकाज देखने में काफी आसानी हो सकती थी. इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे का अतिरिक्त कार्यभार पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अथवा 'नायर' वड़ोदरा के डीजी या उत्तर रेलवे के जीएम को भी सौंपा जा सकता था, जो कि ज्यादा मुफीद होता, मगर यह हजारों किलोमीटर दूर जीएम/द.पू.म.रे., बिलासपुर को दिया गया. उत्तर रेलवे के जीएम को आरसीएफ का अतिरिक्त कार्य देखने को कहा जा सकता था, जो कि कम से कम डेढ़ हजार किमी. दूर जीएम/एमसीएफ को दिया गया.

इसी प्रकार डीएलडब्ल्यू, वाराणसी का अतिरिक्त चार्ज सीएलडब्ल्यू, चितरंजन के महाप्रबंधक वी. पी. पाठक को सौंपा गया है, जो कि सबसे नजदीकी उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के जीएम को सौंपा जा सकता था. तारीफ यह है कि वी. पी. पाठक का नाम बतौर जीएम/डीएलडब्ल्यू रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर 'बी. पी. पाठक' लिखा गया है, यह है रेलवे बोर्ड की नाकाबिल नौकरशाही की काबिलियत का ज्वलंत सबूत? इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, निर्माण के जीएम पद से एच. के. जग्गी 31 मई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. जाहिर है कि इसका अतिरिक्त चार्ज पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (ओपन लाइन) के महाप्रबंधक चाहते राम को दिया गया है, मगर रेलवे बोर्ड की साइट पर आज भी श्री जग्गी का ही नाम इसके जीएम पद पर बना हुआ है. रेलवे बोर्ड की ना-काबिल नौकरशाही का यह एक और प्रमाण है.

बहरहाल, इस सबकी तरफ रेल मंत्रालय के तीनों मंत्रियों का कोई ध्यान नहीं है कि अकर्मण्य सीआरबी और रेलवे बोर्ड की अनुत्तरदायी नौकरशाही क्या गुल खिला रही है? इसके परिणामस्वरूप 14 जुलाई के बाद लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, मगर महाप्रबंधकों के खाली पड़े हुए पांच पदों पर अब तक किसी की पोस्टिंग नहीं की जा सकी है. इसका मतलब क्या यह लगाया जाना चाहिए कि मलाईदार अथवा ओपन लाइन या नॉन-ओपन लाइन या फिर लेटरल शिफ्टिंग के लिए नियुक्तियों की सौदेबाजी हो रही है? हालांकि इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, यह कहना है रेलवे बोर्ड के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे/निर्माण, डीएलडब्ल्यू और आरसीएफ में महाप्रबंधकों के पांच पद खाली हैं, जबकि जीएम/मेट्रो रेलवे और जीएम/एमसीएफ ने लेटरल शिफ्टिंग मांगी हुई है. यदि एम. सी. चौहान जैसे कम काबिल जीएम को लेटरल शिफ्टिंग दी जा सकती है, तो मेट्रो रेलवे एवं एमसीएफ के दोनों जीएम उनसे कहीं बहुत ज्यादा काबिल हैं. श्री चौहान को जीएम/उ.म.रे. में अकारण शिफ्ट करके उसके परिणाम भी देख लिए गए हैं. अब यदि काबिल अधिकारियों को उनकी सही जगह नहीं दी जाती है, तो भारतीय रेल का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता है.

अब जहां तक बात पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ मैकेनिकल अधिकारी राजेश अगरवाल (वर्तमान सीएमई/प.म.रे.) की है, तो एसीसी द्वारा उनके नाम को वर्तमान पैनल में जीएम या उसके समकक्ष नॉन-एम्पैनल्मेंट अप्रूवल दिया गया है. पिछले पैनल में उनका नाम 43वें नंबर पर था. चर्चा यह है कि उन्हें जानबूझकर वर्तमान जीएम पैनल से बाहर किया गया है. इसका कारण यह बताया जा रहा है कि पहले जानबूझकर अथवा सीआरबी के इशारे पर पूर्व महाप्रबंधक रमेश चंद्र ने उनकी एसीआर खराब की. इसके बाद जब दो बार श्री अगरवाल ने अपना ज्ञापन सीआरबी को दिया, तो दोनों बार सीआरबी उनका ज्ञापन दबाकर बैठ गए और दोनों बार व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सिवाय जुबानी खोखला आश्वासन देने के उन्होंने कुछ नहीं किया.

पता चला है कि जबलपुर मंडल में कार्यरत एक फर्म ने उसके करीब दो-ढ़ाई करोड़ रुपए के बकाए को माफ किए जाने का आवेदन किया था, जो कि मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से मुख्यालय को भेजा गया था. इस पर सीएमई राजेश अगरवाल ने शायद कोई आपत्ति दर्ज की थी. बहरहाल, तत्कालीन जीएम/प.म.रे. रमेश चंद्र को उक्त फर्म के इस बकाए को माफ करने में गहरी रुचि थी. इसके लिए उन्होंने दो ऑपरेटिंग और एक एकाउंट्स अधिकारी की कमेटी बनाकर उससे अपने मन-मुताबिक रिपोर्ट बनवाकर उसे माफ कर दिया. ऑपरेटिंग के उक्त दोनों अधिकारी उनके मन-माफिक रिपोर्ट इसलिए दे दिए, क्योंकि उनमें से एक को मध्य रेलवे में ट्रांसफर के लिए जीएम रमेश चंद्र से सहयोग चाहिए था, तो दूसरे को उनसे अपनी चार्जशीट माफ करवानी थी. विश्वसनीय स्त्रोतों का कहना है कि इस बकाया माफी से पूर्व जीएम रमेश चंद्र को एक करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी?

प.म.रे. के पूर्व जीएम रमेश चंद्र के बारे में माना जाता रहा है कि वह बहुत ज्यादा भ्रष्ट नहीं थे, मगर वह कान के कच्चे और बहुत जल्दी दबाव में आने वाले जरुर थे. इसीलिए तमाम वरिष्ठ यांत्रिक अभियंताओं का मानना है कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर राजेश अगरवाल की एसीआर खराब की थी, क्योंकि जिस प्रकार की अंग्रेजी उन्होंने श्री अगरवाल की एसीआर में लिखी है, उससे भी यह बात सही साबित होती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश अगरवाल की एसीआर में रमेश चंद्र ने लिखा है कि 'वह अपनी जिम्मेदारी अपने मातहतों पर डालते हैं. वह अपने मातहतों को शक की निगाह से देखते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं. इसलिए डीपीसी के समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.' अधिकारियों का कहना है कि रमेश चंद्र ने डीपीसी पर निर्णय डालकर सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा. ऐसे में डीपीसी के मूढ़धन्य लोगों को उनकी बेतुकी अंग्रेजी पर कतई कोई ध्यान देने की जरुरत नहीं थी. मगर यह ध्यान दिया गया, क्योंकि डीपीसी में वह अधिकारी भी शामिल था, जिसके इशारे पर श्री अगरवाल की एसीआर खराब की गई.

उल्लेखनीय है कि एसीआर लिखने के समय संबंधित अधिकारी के कामकाज और उसके व्यक्तिगत व्यवहार के साथ उसकी प्रशासनिक क्षमता का आकलन किया जाता है और उसी से संबंधित टिप्पणी एसीआर लिखने वाले वरिष्ठ अधिकारी को अपने विवेक से देनी होती है. किसी सुनी-सुनाई बात या चर्चा के आधार पर किसी अधिकारी की एसीआर नहीं लिखी जाती है. यहां यही भी उल्लेखनीय है कि जीएम की डीपीसी में संबंधित अधिकारियों की 10 साल की एसीआर देखी जाती हैं और रमेश चंद्र द्वारा जानबूझकर या किसी के दबाव में खराब की गई पिछले साल की एक एसीआर के अलावा राजेश अगरवाल की पिछले 15 सालों की सभी एसीआर आउट स्टैंडिंग रही हैं. जाहिर है कि यह कुत्सित कार्य पूर्व जीएम रमेश चंद्र से जानबूझकर करवाया गया है, क्योंकि राजेश अगरवाल भावी सीआरबी कैंडिडेट हैं.

निष्कर्ष यह है कि यह कुत्सित कार्य सीआरबी के अलावा अन्य कोई नहीं करा सकता, यदि ऐसा नहीं है, तो सीआरबी ने श्री अगरवाल के दो ज्ञापनों पर समय रहते उचित संज्ञान क्यों नहीं लिया? ज्ञातव्य है कि इससे पहले सीआरबी ने वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ए. पी. सिंह की एसीआर न तो स्वयं ठीक की, और न ही राष्ट्रपति (रेलमंत्री) को की गई उनकी अपील को अपनी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी के साथ आगे बढ़ाया गया. रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया है कि यह काम वर्तमान सीआरबी ने पूर्व सीआरबी के इशारे पर किया है. यही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया कि राजेश अगरवाल के मामले में भी सीआरबी द्वारा पूर्व सीआरबी के इशारे पर ही यह सारा खेल किया गया है और यह पूर्व सीआरबी आज तक वर्तमान सीआरबी उर्फ 'स्टोरकीपर' के निर्णयों को लगातार प्रभावित करता आ रहा

अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट (एसीसी) ने दि. 12.07.2017 को वर्ष 2017-18 के लिए नए जीएम पैनल को अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है. इस 'फाइनल जीएम पैनल' में कुल 18 वरिष्ठ रेल अधिकारियों को समाहित किया गया है.

Sl. No.	Name of Officer (Compiled by 'Paripurna Railway Samachar')	Cadre	DOB	DITS	Date of Superannuation
01.	Rajeev Agarwal	IRSEE	01.03.1960	04.02.1982	28.02.2020
02.	Ratan Lal (SC)	IRSEE	05.07.1959	10.02.1982	31.07.2019
03.	T. P. Singh (SC)	IRSME	21.01.1960	28.03.1982	31.01.2020
04.	Ajay Vijayvergiya	IRSSE	22.09.1959	12.08.1982	30.09.2019
05.	Rajendra Jain	IRSSE	08.08.1959	15.07.1982	31.08.2019
06.	P. K. Mishra	IRSE	17.03.1960	01.09.1982	31.03.2020
07.	Smt.Sunira Bassi	IRTS	05.07.1959	02.01.1983	31.07.2019
08.	N. K. Prasad	IRPS	23.01.1960	03.01.1983	31.01.2020
09.	Sanjiv Roy	IRSE	03.11.1960	23.02.1983	30.11.2020
10.	L. C. Trivedi	IRSME	03.06.1961	11.04.1983	30.06.2021
11.	Rajiv Kumar	IRSEE	07.05.1959	10.05.1983	31.05.2019
12.	Smt.Manju Gupta	IRSEE	02.02.1960	24.05.1983	28.02.2020
13.	Virendra Kumar	IRSME	28.06.1961	16.06.1983	30.06.2021
14.	D. Ghosh Roy	IRSME	25.04.1959	14.03.1983	30.04.2019
15.	Anil Kumar Agarwal	IRSME	27.12.1959	22.03.1983	31.12.2019
16.	Sudheer Kumar	IRSEE	27.06.1960	22.06.1983	30.06.2020
17.	Amit Kumar Haldar	IRSSE	03.04.1959	27.06.1983	30.04.2019
18.	Pradeep Kumar	IRSSE	03.02.1961	14.03.1983	28.02.2021

नोट : इसके अलावा चार वरिष्ठ रेल अधिकारियों - बी. के. अगरवाल, एन. काशीनाथ, राजेश अगरवाल एवं मनोज पांडेय - को जीएम या उसके समकक्ष नॉन-एम्पैनल्मेंट अप्रूवल दिया गया है.

'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको लालू ने ठगा नहीं...'

पेज 10 का शेष...

विभिन्न संस्थाओं द्वारा रेलवे पर लगाया गया आरोप :

13. पटना हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि रेलवे द्वारा प्रमोटी अधिकारियों को अनुचित फायदा दिया गया है.
14. सातवें वेतन आयोग ने भी रेलवे बोर्ड से कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण पर रिर्पोट मांगी है.
15. कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) ने भी रेलवे से 50:50 नियम के उल्लंघन पर जवाब तलब किया है.
16. स्वतंत्र डेलॉयट कमेटी ने भी अपनी रिर्पोट में कहा है कि रेलवे ने वर्ष 2006 से 2012 के दौरान 1714 ग्रुप 'ए' रिक्तियों की जगह 4367 ग्रुप 'ए' अधिकारियों की भर्ती की तथा इन सभी अतिरिक्त पदों को खत्म करने के बजाय उन्हें ग्रुप 'बी' प्रमोटी अधिकारियों को दे दिया गया.

मोदी सरकार द्वारा समस्या से निजात :

17. चूंकि यह पूरा पदोन्नति घोटाला एक सरकारी तंत्र द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से किया गया है तथा नियमों में फेरबदल रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों ने निजी लाभ के तहत किया है. अतः वर्तमान सरकार अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर बीते वर्षों में अपनाए गए गलत नियम को सुधार नहीं सकती है. इसलिए वर्तमान सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि विभिन्न न्यायालयों से ऐसे मामलों पर जो अंतिम निर्णय हुए हैं, या होंगे, उन्हें रेलवे स्वीकार करके लागू करे.

उल्लेखनीय है कि इस पूरे महाघोटाले पर पर्दा डालने के लिए वर्तमान सीआरबी ने अपना विरोधाभाषी 'स्पीकिंग ऑर्डर' देकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया था. जिसे 'रेलवे समाचार' ने विस्तार से प्रकाशित किया था. यही नहीं, ऐसे मामलों में रेलवे की तरफ से अभी-भी विभिन्न अदालतों में हास्यास्पद हलफनामे दिए जा रहे हैं. इस पूरे पदोन्नति मुद्दे पर डांट-फटकार सुनकर रेलवे के वकील अदालतों के सामने शर्मसार हो रहे हैं. इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ) भी कुछ प्रमोटी बैचों को लाभ देने और अपनी झूठी शान को बचाने के चक्कर में आने वाली प्रमोटी पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर रहा है. आरबीएसएस की कुटिल चालों में फंसकर रेलवे बोर्ड और इरपोफ नेतृत्व आज प्रमोटी अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दे पा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर इरपोफ संगठन फूट के कगार पर है. प्रमोटी अधिकारियों द्वारा भी आरबीएसएस की तर्ज पर अलग से सिर्फ ग्रुप 'बी' अधिकारियों का संगठन बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इरपोफ के वर्तमान सभी जोनल पदाधिकारी जेएजी यानि ग्रुप 'ए' पा चुके हैं तथा केंद्रीय नेतृत्व को अब सिर्फ सेलेक्शन ग्रेड और एसएजी की ही ज्यादा चिंता रहती है. अर्थात इरपोफ की सारी ऊर्जा अपने जोनल पदाधिकारियों के भविष्य को ज्यादा से ज्यादा उज्ज्वल बनाने पर खर्च होती है. अब इरपोफ का केंद्रीय नेतृत्व भी जूनियर स्केल प्रमोटी अधिकारियों के भविष्य निर्माण की बात नहीं करता है. जबकि बहुत सारे ग्रुप 'बी' अधिकारी आज भी 10-15 सालों की सेवा के बाद भी 4800 ग्रेड-पे पर काम कर रहे हैं और उनके साथ का ग्रुप 'सी' कर्मचारी एमएसीपी का लाभ लेकर 5400 ग्रेड-पे पा रहा है. जूनियर स्केल पर स्टेगनेशन हो चुका है. 10 से 15 साल तक काम करने के बाद भी सीनियर स्केल नहीं पा मिल रहा है. ऐसी घटनाएं बहुत मार्मिक हैं तथा इरपोफ इस पर कन्नी काटता नजर आ रहा है.

ऐसी परिस्थिति में 'रेलवे समाचार' का भी यही मानना है कि मृतप्राय होने से अच्छा है कि बागी होकर ग्रुप 'बी' आरबीएसएस संगठन की तर्ज पर अलग ग्रुप 'बी' इरपोफ का सृजन किया जाए, जो वास्तव में प्रमोटी अधिकारियों के उत्थान की बात करे, अथवा वर्तमान इरपोफ से ग्रुप 'ए' पाए हुए सभी प्रमोटी अधिकारियों को बाहर किया जाए. हालांकि ऐसी मांग पहले भी इरपोफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कई बैठकों में होती रही है, मगर चूंकि लगभग सभी जोनल प्रमोटी संगठनों सहित इरपोफ की केंद्रीय कार्यकारिणी में भी ग्रुप 'ए' पाए प्रमोटी अधिकारी ही हावी रहे हैं, इसलिए कभी उक्त मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई.

डीजी/एसएंडटी/रे.बो. अखिल अग्रवाल से मिला IRSTMU का प्रतिनिधि मंडल

सुरक्षित एवं संरक्षित रेल संचालन हेतु महत्वपूर्ण हैं अनुरक्षकों के साथ अधिकारियों की मुलाकातें

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षक संघ (आईआरएसटीएमयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 24 जुलाई को डीजी/एसएंडटी अखिल अग्रवाल से रेल भवन, नई दिल्ली में मुलाकात करके संकेत एंव दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में चर्चा की. श्री अग्रवाल ने चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई तथा कई मुद्दों पर कार्यवाही करने का भरोसा भी दिया है. जिन मुद्दों पर उनकी सहमति हुई है, उनमें निम्न मुद्दे शामिल हैं.

1. संकेत एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही रोस्टर ड्यूटी एवं नाईट गैंग भारतीय रेल के सभी मंडलों पर लागू कर दिया जाएगा. 2. एसईएम पार्ट-2 के पैरा 11.5.1 में जल्दी ही संशोधन किया जाएगा और उसमें 'ऑन ड्यूटी मेंटेनर्स' जोड़ा जाएगा. 3. यूनिफार्म में भी बदलाव के लिए डीजी ने सहमति जताई है. 4. यार्ड स्टिक में संशोधन की भी बात कही तथा इसे जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए आश्वासन दिया. 5. सिग्नल मेंटेनर की शैक्षिक योग्यता पर उनका कहना था कि मान्यताप्राप्त लेबर फेडेरेशन खुद ही इस विषय पर अपनी पीएनएम से मुकर गई हैं. 6. सभी स्टेशनों पर ड्यूटी रुम की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया है. 7. एसएंडटी कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर देने में प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया है. 8. ओवर टाइम एवं नाईट ड्यूटी अलाउंस सभी एसएंडटी कर्मचारियों को दिलाने का आश्वासन दिया है. 9. अन्य सुविधाओं से वंचित एसएंडटी कर्मचारियों के लिए भी कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है.

इस मुलाकात के दौरान एडीशनल मेंबर/सिग्नल एन. काशीनाथ भी उपस्थित थे. भारतीय रेलवे संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षक संघ' की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया. मुलाकात के बाद 'रेलवे समाचार' से बात करते करते हुए नवीन कुमार ने कहा कि सिग्नल मैनुअल में सुधार, ड्यूटी रोस्टर, ओवर टाइम भत्ता, नाइट गैंग, स्टेशन में संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षक का ड्यूटी रूम, हेल्परों को जल्द प्रमोशन देने, ट्रेनिंग स्कूल में उचित प्रशिक्षण, आवास की उचित व्यवस्था करने, अनुरक्षकों के टूल्स एवं मटेरियल की अच्छी गुणवत्ता, जोखिम एवं संरक्षा भत्ता इत्यादि मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल ने सभी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने की प्रतिबद्धता जताई है. प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब संधि, कार्यकारिणी सदस्य शशांक कुमार सक्सेना, योगश परिहार, अब्बास अली एवं अजय शंकर शामिल थे.

इससे पहले 19 जुलाई को 'भारतीय रेलवे संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षक संघ' के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार, मंडल उपाध्यक्ष रामलीलन राय, मंडल उपाध्यक्ष एन. सी. आचार्य, अभिमन्यु कुमार, गगन कुमार, अमरेश कुमार झा के साथ मंडल रेल प्रबंधक, चक्रधरपुर मंडल छत्रसाल सिंह से औपचारिक भेंट की. संकेत एवं दूरसंचार विभाग में ड्यूटी रोस्टर पर डीआरएम छत्रसाल सिंह के साथ विशेष रूप से चर्चा हुई.

इस अवसर पर डीआरएम श्री सिंह के साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता भी उपस्थित थे. अनुरक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ इस प्रकार की मेल-मुलाकातें किए जाने और उनके द्वारा कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से सीधे उन्हें अवगत कराए जाने से अधिकारी वर्ग को कर्मचारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील ढ़ंग से विचार करने का अवसर मिलेगा. सुरक्षित एवं संरक्षित रेल संचालन के लिए इस प्रकार की मुलाकातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेनें बढ़ाई जाएं

कल्याण-कर्जत-कसारा के लिए कम से कम दो और लेडीज स्पेशल चलाए जाने की मांग

-कंचन खरे, जेडआरयूसीसी सदस्य, म. रे.

मुंबई : जोनल रेलवे उपभोगकर्ता सलाहकार समिति, मध्य रेलवे की सदस्य श्रीमती कंचन खरे ने मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में कामकाजी महिलाओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ज्यादा लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाए जाने की मांग की है. उन्होंने 12 जुलाई को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डी. के. शर्मा से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उन्हें विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपे. उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के पीक ऑवर में कर्जत-कसारा-कल्याण स्टेशनों के लिए कम से कम दो और लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेनों को चलाए जाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि कल्याण, कर्जत और कसारा लोकल ट्रेनों के कोचों की सीटिंग व्यवस्था को पूर्ववत किया, क्योंकि लंबी दूरी की इन लोकल गाड़ियों के कोचों से एक तरफ की सीटें निकाल दिए जाने से वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग डिब्बे के बीच में एक स्टैंड लगाए जाने की भी मांग की है, इससे दिव्यांगों को भीड़ के समय खड़े रहने में थोड़ी आसानी होगी. दिव्यांग डिब्बे में सीसीटीवी लगाई जाए, दिव्यांगों के लिए अलग हेल्प लाइन नंबर हो, डिब्बे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाए, हर स्टेशन पर इसकी घोषणा की जाए, जिससे अनधिकृत लोगों के इस डिब्बे में यात्रा करने पर रोक लगाई जा सके. दिव्यांग डिब्बे में यात्रा करते पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए. भाजपा और संघ कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से रेलयात्रियों सहित रेलकर्मियों की समस्याओं के प्रति सक्रिय श्रीमती खरे ने पिछले हप्ते पुणे, दौंड, कुर्दुवाडी और सोलापुर स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया. इसके अलावा वह रेलकर्मियों की भी समस्याओं के प्रति अत्यंत सक्रिय हैं. उन्होंने पश्चिम रेलवे की ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन द्वारा 24 जुलाई को दादर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर उनकी समस्याओं को रेल प्रशासन के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया. इससे पहले उन्होंने कई जगह मौके पर जाकर ट्रैक मैनों को ट्रैक पर काम करते हुए उनकी कार्य-स्थितियों का भी अवलोकन किया है.

मध्य रेलवे के महाप्रबंधक डी. के. शर्मा को ज्ञापन देने के बाद संबंधित विषयों पर उनके साथ चर्चा करते हुए जेडआरयूसीसी सदस्य श्रीमती कंचन खरे. इस अवसर पर मध्य रेलवे के सचिव साकेत मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

पश्चिम रेलवे की ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के कार्यक्रम में ट्रैक मैनों को संबोधित करते हुए जेडआरयूसीसी सदस्य श्रीमती कंचन खरे.

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक **सुरेश त्रिपाठी** द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464
- पंजाब ब्यूरो : अमित जेतली ☎ 07009746163

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017